सहज®

दसवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष
2023–2024

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

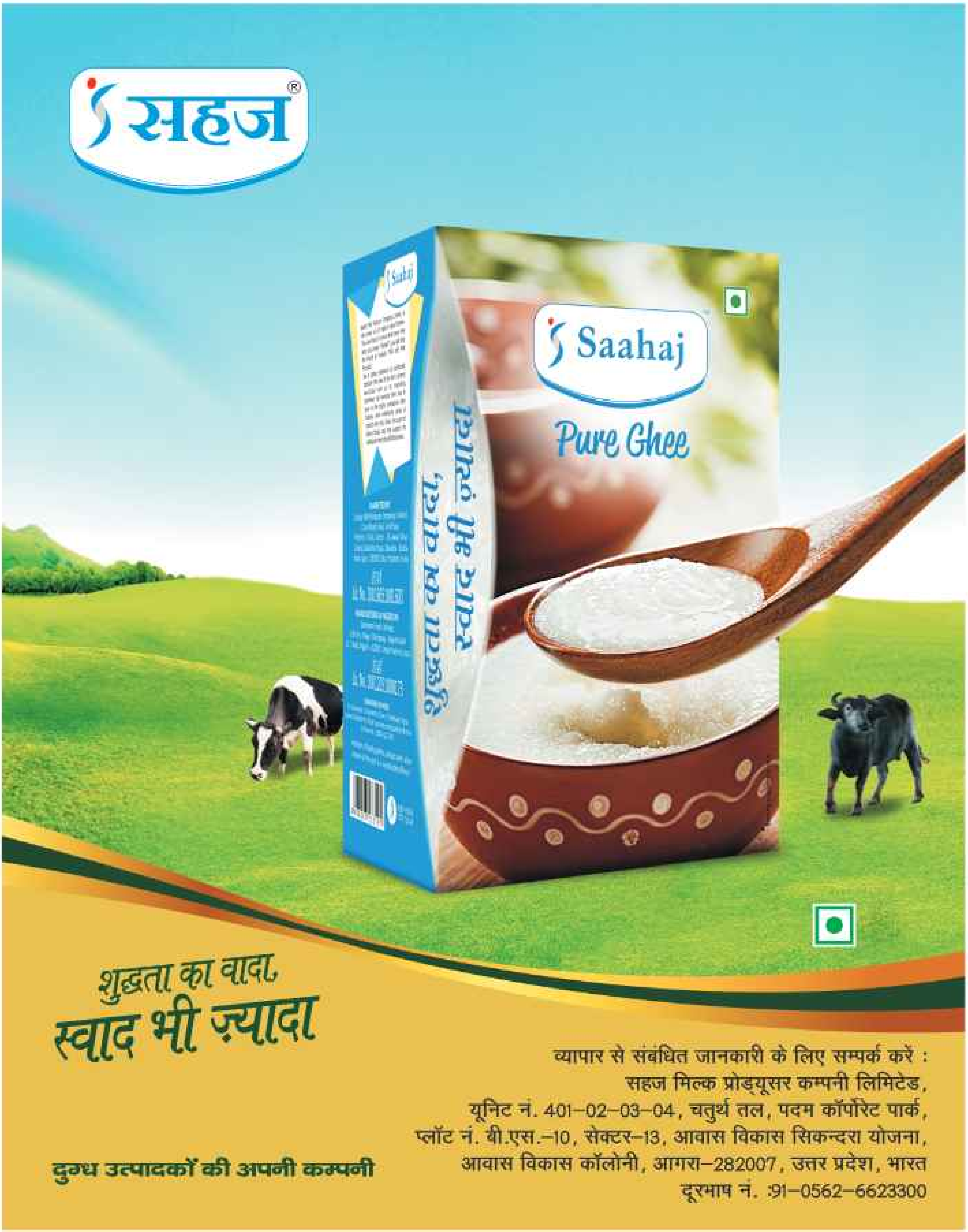
सहज
Saahaj
Pure Ghee
शुद्धता का वादा, स्वाद भी ज़्यादा
शुद्धता का वादा,
स्वाद भी ज़्यादा
व्यापार से संबंधित जानकारी के लिए सम्पर्क करें :
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड,
यूनिट नं. 401–02–03–04, चतुर्थ तल, पदम कॉर्पोरेट पार्क,
प्लॉट नं. बी.एस.–10, सेक्टर–13, आवास विकास सिकन्दरा योजना,
आवास विकास कॉलोनी, आगरा–282007, उत्तर प्रदेश, भारत
दूरभाष नं. :91–0562–6623300
दुग्ध उत्पादकों की अपनी कम्पनी

निदेशक मण्डल

श्री रजनीश कुमार (डी.आई.एन. 07894245)	अध्यक्ष एवं निदेशक
श्री शिव प्रताप (डी.आई.एन. 07894230)	निदेशक
श्री उपेन्द्र सिंह (डी.आई.एन. 08198050)	निदेशक
श्री शिव कुमार शर्मा (डी.आई.एन. 08526410)	निदेशक
श्री योगेश कुमार जादौन (डी.आई.एन. 08526498)	निदेशक
श्रीमती सपना (डी.आई.एन. 08865085)	निदेशक
श्री सुशील कुमार (डी.आई.एन. 09300081)	निदेशक
श्री राहुल कुमार (डी.आई.एन. 09680147)	निदेशक
श्रीमती सुलेखा (डी.आई.एन. 10242846)	निदेशक
श्रीमती उमा भदौरिया (डी.आई.एन. 10242870)	निदेशक
श्रीमती सुनीत (डी.आई.एन. 10493050)	निदेशक
श्री सौगता मित्रा (डी.आई.एन. 00541858)	विशेषज्ञ निदेशक
डॉ. संजय कुमार गोवानी (डी.आई.एन. 08814861)	विशेषज्ञ निदेशक
डॉ. रघु हसन मल्लेगौड़ा (डी.आई.एन. 08936193)	विशेषज्ञ निदेशक
श्री बसन्त चौधरी (डी.आई.एन. 08277954)	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

कंपनी सचिव
श्री वरूण वर्मा

वैधानिक अंकेक्षक
मैसर्स एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
गुरुग्राम, हरियाणा

बैंकर्स
एच.डी.एफ.सी. बैंक, अलीगढ़
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, आगरा
आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, आगरा
ऐक्सिस बैंक, आगरा
एच.डी.एफ.सी. बैंक, आगरा

पंजीकृत कार्यालय
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)
यूनिट नं. 401–02–03–04, चतुर्थ तल, पदम कॉर्पोरेट पार्क,
प्लॉट नं. बी.एस.–10, सेक्टर–13, आवास विकास सिकन्दरा योजना,
आवास विकास कॉलोनी, आगरा–282007, उत्तर प्रदेश, भारत
दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail : info@saahajmilk.com
Website : www.saahajmilk.com

आंतरिक अंकेक्षक
अर्न्स्ट एण्ड यंग एलएलपी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
गुरुग्राम, हरियाणा

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट्स
बीटल फाइनेन्शियल एण्ड कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि.
बीटल हाउस, तृतीय तल
99, मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली–110062

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	अध्यक्ष सन्देश	3
2.	निदेशकों की रिपोर्ट	4–29
3.	स्वतन्त्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट	30–44
4.	वित्तीय विवरण 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक	45–72
	(अ) आर्थिक चिट्ठा	45
	(ब) लाभ–हानि विवरण	46
	(स) रोकड़ प्रवाह विवरण	47
	(द) नोट्स जो की वित्तीय विवरण का हिस्सा है	48–72

संलग्नक : ग्यारहवीं वार्षिक आम सभा का सूचना पत्र एवं सम्बन्धित अनुलग्नक 73–94

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

कम्पनी के मूल्य, ध्येय एवं दीर्घदृष्टि

मूल्य

★ ईमानदारी

★ दूरदर्शिता

★ गुणवत्ता

★ पारदर्शिता

★ टीम-भावना

★ साहस और जुनून

★ जागरूकता और जिम्मेदारी सभी स्तर पर

★ समय तत्परता

ध्येय

सहज दुग्ध उत्पादक संस्था अपने सदस्यों के दूध की प्रतिस्पर्धात्मक कीमत देते हुए और दूध उत्पादन बढ़ाने तथा लागत खर्च कम करने के लिए आवश्यक सेवाएँ प्रदान करते हुए उनके दूध व्यवसाय से अर्जित लाभ को बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है।

दीर्घ दृष्टि

सहज दुग्ध उत्पादक संस्था दूध व्यवसाय के क्षेत्र में उत्तर भारत की अग्रणी संस्था होगी तथा दूध उत्पादकों, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों की पहली पसंद होगी।

(नोट : हिन्दी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी अस्पष्टता पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे)

अध्यक्ष संदेश

प्रिय अंशधारकों,

इस पत्राचार के माध्यम से हमें हमारी कंपनी के दसवें वित्तीय वर्ष 2023–24 के प्रदर्शन के बारे में सूचित करते हुए बेहद खुशी हो रही है।

इस वर्ष हमारी कंपनी ने रु. 1057.17 करोड़ का टर्नओवर हासिल किया है एवं रु. 22.10 करोड़ का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है। यह उपलब्धि हमारी संस्था के सदस्यों और हितधारकों, हमारे दुग्ध उत्पादक सदस्यों की मजबूत प्रतिबद्धता का प्रमाण है जो तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद हमारे साथ खड़े रहे। कंपनी से जुड़े प्रत्येक हितधारक द्वारा प्रदर्शित सकारात्मक दृष्टिकोण और उच्च स्तर की दृढ़ता ने ही इसे संभव बनाया है।

मैं बेहद खुशी के साथ बताना चाहूंगा कि कंपनी से सक्रिय उत्पादक सदस्यों को रु. 8.84 करोड़ का लॉयल्टी प्रोत्साहन दिया है जिन्होंने कंपनी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार सभी शर्तों को पूरा किया है। पिछले दस वर्षों में कंपनी द्वारा दी गई प्रोत्साहन राशि की यह अब तक की सबसे बड़ी राशि है। कंपनी ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें उत्पादक सदस्य बनाया है। एक सम्मलित विकास संगठन के रूप में, हम इस दर्शन का पालन करते हैं कि ''जब संस्था के सदस्य बढ़ते हैं तो सहज संस्था बढ़ती है।''

आपके निदेशक उन सदस्यों को लाभांश कि अनुशंसा करते हुए प्रसन्न हैं, जिनके नाम 31 मार्च, 2024 को कंपनी के सदस्य रजिस्टर में दर्ज है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने अपने दूध उत्पादक सदस्यों से प्रतिदिन औसतन 5.37 लाख किलोग्रा दूध खरीदा है और दूध भुगतान चक्र के 10 दिनों के नियमित अंतराल पर अपने सदस्यों को प्रतिस्पर्धी और लाभकारी कीमतों का भुगतान किया है। इसके अलावा, कंपनी ने दूध उत्पादक सदस्यों के दरवाजे पर कृत्रिम गर्भाधन और राशन संतुलन सेवाएं प्रदान करने के अपने प्रयास जारी रखे।

कंपनी ने हमेशा महिलाओं को डेयरी उद्योग में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने को उच्च प्राथमिकता दी है क्योंकि वे अपने घरेलू काम और डेयरी व्यवसाय दोनों को अत्यन्त व्यावसायिकता के साथ प्रबंधित करती हैं। इतना ही नहीं डेयरी व्यवसाय से होने वाली आय का उपयोग उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति के उत्थान में किया जाता है। वर्ष के अंत के आंकड़े इसे प्रदर्शित करते हैं, कुल सदस्यता का 50% यानि 90,984 में से 45,052 महिलाएं अब कंपनी की सदस्य हैं। यह एक अविश्वसनीय परिणाम है जो अधिक संख्या में महिला सदस्यों को अपने दायरे में लाने की कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अत्यंत खुशी के साथ, मैं यह घोषणा करना चाहूंगा कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने दूध उत्पादक सदस्यों को 9,982 मीट्रिक टन पशु चारा, 231 मीट्रिक टन खनिज मिश्रण और 29 मीट्रिक टन चारा बीच बेचे हैं। कंपनी ने 493 एआई केन्द्रों के माध्यम से अपनी एआई सेवाएं प्रदान की और किसानों के दरवाजे पर कुल 6.07 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए हैं।

इसके अलावा, केन्द्रित प्रयासों के कारण, कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान 36,179 एलपीडी पॉली पाउच दूध (पीपीएम), 1,288 एलपीडी छाछ, 3,122 केजीपीडी दही और 402.78 मीट्रिक टन घी बेचा था।

मैं निदेशकों, विशेषज्ञ निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ–साथ उन सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने कंपनी के शीर्ष लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की।

आपका विश्वसनीय
ह./–
रजनीश कुमार
अध्यक्ष एवं निदेशक
डी.आई.एन. : 07894245

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

अंशधारकों को निदेशकों की दसवीं रिपोर्ट

निदेशकों को आपके समक्ष 31 मार्च, 2024 तक अंकेक्षित विवरण के साथ कंपनी के संचालन सम्बन्धी दसवीं (10वीं) वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है।

वित्तीय प्रदर्शन :

संक्षिप्त वित्तीय परिणाम निम्नानुसार है :

(रू. करोड़ में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
कुल आय	1065.04	819.57
खर्च सहित कुल लागत	1042.94	823.81
कर से पूर्व लाभ/हानि	22.10	(4.24)
कर व्यय		
(1) वर्तमान कर	4.63	–
(2) पिछले वर्ष का अतिरिक्त कर प्रावधान	–	(0.11)
(3) स्थगित कर	0.13	(0.12)
कुल कर खर्च	4.76	(0.23)
लाभ / (हानि) कर के बाद	17.34	(4.01)

समीक्षाधी वर्ष के दौरान, कंपनी ने 1057.17 करोड़ रुपये का कारोबार हासिल किया है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व रु. 1065.04 करोड़ दर्ज हुआ हैं तथा पिछले वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व रु. 819.57 करोड़ दर्ज हुआ था। पिछले वर्ष व्यय सहित कुल लागत रु. 823.81 करोड़ थी तथा इस वर्ष व्यय सहित कुल लागत रु. 1042.94 करोड़ रुपये है। इसके परिणामस्वरूप कर पूर्व लाभ/(हानि) (पीबीटी) रु. 22.10 करोड़ हुआ है और कर पश्चात लाभ/(हानि) रु. 17.34 करोड़ का हुआ है। अंश जिसका अंकित मूल्य रु. 100 है, उसकी प्रति अंश आय (ईपीएस) रु. 61.92/– है जोकि कुल इक्विटी पूंजी रु. 27.90 करोड़ के आधार पर है।

<u>**सीमित लाभांश (डिविडेंड) :**</u>

कंपनी के पास सदस्यों को अंश पूँजी पर लाभांश की घोषणा का एक सुसंगत ट्रैक रिकार्ड है। आपकी

कंपनी के निदेशकों ने 22.08.2024 को हुई बैठक में रु. 27.90 करोड़ की इक्विटी अंश पूंजी पर प्रति अंश रु. 8/– के लाभांश की सिफारिश की। आगामी ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन, उन सदस्यों को लाभांश भुगतान किया जाएगा जिनके नाम 31.03.2024 को सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देंगे।

वित्तीय वर्ष के लिए प्रति समता अंश रु. 8/– की दर से कुल लाभांश रु. 2.23 करोड़ होगा।

<u>सामान्य संचय में स्थानांतरण :</u>

बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZI तथा कंपनी के अंतर्नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के कर पश्चात लाभ में से रु. 15.11 करोड़ सामान्य संचय के खाते में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा है।

<u>दृष्टिकोण</u>

भारतीय डेयरी उद्योग में भारत के आर्थिक विकास को नई ऊँचाईयों पर ले जाने की अंतर्निहित क्षमता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का स्त्रोत होने के अलावा, इससे ग्रामीण विकास और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलता है, यह एक और समान रूप से देश की खाद्य सुरक्षा और निर्यात की महत्वपूर्ण आवश्कताओं को पूरा करता है।

भारतीय कृषि कौशल परिषद का कहना है कि 71% डेयरी किसान महिलाएं हैं जो आजीविका के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर हैं, जो साल भर रोजगार प्रदान करता है। भारत दूध के उत्पादन में पहले स्थान पर है और वैष्विक दूध आपूर्ति के 24% के लिए जिम्मेदार है। हालाँकि, देश में दूध का उत्पादन विषम है और लगभग 10 राज्य 81% दूध का उत्पादन करते हैं। सभी राज्यों में डेयरी फार्मिंग को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। फलते–फूलते डेयरी उद्योग को आकार देने और इसे अगले स्तर पर ले जाने के लिए उचित नीतियां आवश्यक है।

माननीय प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में, भारतीय डेयरी उद्योग 360 डिग्री विकास के लिए तैयार है, देश में दूसरी दुग्ध क्रांति की दिशा में छोटे कदम उठाए जा रहे हैं। लगभग **126 मिलियन** लीटर प्रति दिन की दूध प्रसंस्करण क्षमता और **427 ग्राम** प्रति व्यक्ति दूध की खपत के साथ, भारत दोनों श्रेणियों में विश्व स्तर पर पहला स्थान प्राप्त करता है। केंद्र सरकार द्वारा निर्यात के लिए एक बहुराज्यीय सहकारी निर्यात समिति बनाई गई है जो प्रस्तावित 2 लाख ग्रामीण डेयरियों से जुड़ी है, इस प्रकार औसत वार्षिक क्षेत्र की वृद्धि दर 6% (पिछले दशक में अनुभव) से बढ़कर **13.8%** हो गई है और इससे निर्यात मे 5 गुना

बढ़ोत्तरी की संभावना बढ़ गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच एक सहकारी सहयोग भारत को वित्त वर्ष 2033–34 तक दुनिया के **33%** दूध उत्पादन के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकता है।

डेयरी के लिए वर्ष 2023–24 एक उत्कृष्ट वर्ष था और आपकी कंपनी की उपलब्धि भी पिछले वर्षों की तुलना में भौतिक और वित्तीय प्रत्येक पहलू में बढ़ी है। हालाँकि बाजार में प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी थी, लेकिन हमारे समर्पित दूध उत्पादक सदस्यों और प्रत्येक संबद्ध कर्मचारियों के प्रयासों की मदद से, कंपनी ने एक आश्चर्यजनक परिणाम स्थापित किया है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा वफादारी प्रोत्साहन की घोषणा की गई थी। कंपनी द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करने वाले योग्य सदस्यों को **रु. 8.84** करोड़ दिए गए, जो कंपनी के इतिहास में अब तक दी गई सबसे अधिक राशि है।

संचालन अवलोकन

दूध की खरीद

कंपनी की मुख्य गतिविधि दूध की खरीद है। इस प्रकार, कुशल और पारदर्शी खरीद प्रणाली के माध्यम से निर्बाध दूध खरीद सुनिश्चित करना अनिवार्य हो जाता है जिससे इसके परिचालन क्षेत्र में इसकी स्थिति मजबूत होती है। दूध खरीद कार्य मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कंपनी अपने पंजीकृत सदस्यों से अच्छी गुणवत्ता वाले दूध की खरीद जारी रखती है और हर 10 दिनों के चक्र के आधार पर सीधे दूध देने वाले सदस्यों के बैंक खाते का भुगतान सुनिश्चित करता है।

कंपनी की दूध खरीद गतिविधियाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में फैली हुई हैं। कंपनी ने 15 मिल्क चिलिंग सेंटर, 360 बीएमसी और 3110 सक्रिय पूलिंग पॉइंट्स का एक मजबूत मिल्क चिलिंग नेटवर्क स्थापित किया है, जिसने अपने पंजीकृत सदस्यों के औसतन 537 टीकेजीपीडी दूध खरीदने में सहायता की, जिसे आगे की प्रक्रिया के लिए कंपनी के अपने "**सहज**" ब्रांड में पीपीएम पैकिंग के लिए मदर डेयरी और तीसरे पक्ष के प्लांट में भेजा गया है।

हमारे परिचालन क्षेत्र में निर्बाध दूध खरीद ने हमारे किसानों को कमाई करने और तेजी से बढ़ने में मदद की । कंपनी ने रु. 907.07 करोड़ दूध का भुगतान सीधे इसके निर्माता सदस्यों के बैंक खातों में किया हैं, जो राजस्व का 85.2% है।

दूध खरीद टीम ने कंपनी के प्रभावी मूल्य निर्धारण तंत्र के साथ हमेशा एक स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखा है जो प्रतिस्पर्धा से मेल खाने में सक्षम है और पूरे वर्ष प्रतिस्पर्धी बना रहा। इसके अलावा टीम ने बंद एमपीपी को पुनर्जीवित करने, नई सदस्यता और गैर सदस्यों और गैर–सदस्यों के साथ घर–घर जाकर जुड़ने के हर संभव प्रयास किए हैं कंपनी के सभी एमपीपी, बीएमसी और एमसीसी जीपीआरएस प्रणाली

के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिससे डेयरी मूल्य श्रृंखला के हर स्तर पर किसी भी मैन्युअल हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। सभी एमपीपी क्षेत्र स्तर से तेज, कुशल और पारदर्शी वास्तविक समय डेटा प्रवाह के लिए अत्यधिक अनुकूलित 4जी मॉडेम तकनीक से लैस हैं।

भविष्य का लक्ष्य

नए जोश और उत्साह के साथ और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आने वाली चुनौतियों से पार पाने के लिए कंपनी ने वित्त वर्ष 2024–25 मैं अपनी दूध खरीद बढ़ाने की परिकाल्पना की है और अपने पंजीकृत सदस्यों से प्रतिदिन लगभग 6.40 लाख किलोग्राम दूध खरीद का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा कंपनी की योजना भारत सरकार के ''राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडी)'' – 'सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी (जेआईसीए सहायता प्राप्त परियोजना)' के सहयोग से मौजूदा क्षेत्र के कुल 4,200 गाँवों को कवर करने की है। यह समर्थन ग्रामीण स्तर पर कंपनी की दूध खरीद प्रणाली को मजबूत करेगा और साथ ही अधिक संख्या में उत्पादकों को कंपनी के पारदर्शी माहौल और कुशल संचालन के दायरे में लाकर लाभान्वित करेगा। इसके अलावा, कंपनी ने पहले ही पहलकर दी है और प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से अपने विक्रेता भागीदारों (सहायक और रियायती) को जागरूक और प्रेरित करना जारी रखेगी, जो निश्चित रूप से वित्त वर्ष 2024–25 के लिए दूध लक्ष्य प्राप्त करने में परिचालन बाधाओं को कम करने के लिए सकारात्मक प्रभाव देगा।

आहार संतुलन कार्यक्रम

राशन संतुलन का उद्देश्य दूध उत्पादकों को उनके दरवाजे पर तकनीकी इनपुट और सेवाओं के प्रावधान के साथ भोजन की वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर पशुओं के उत्पादन और प्रजनन में सुधार करना है, जिससे दूध उत्पादन दक्षता और डेयरी से आर्थिक रिटर्न में सुधार होगा। संतुलित राशन स्थानीय रूप से उपलब्ध फीड सामग्री का कुशलतापूर्वक उपयोग करेगा, जिससे फीड की बर्बादी कम होगी और भोजन की लागत भी कम होगी। इस प्रकार, दुग्ध उत्पादकों को असंतुलित आहार के परिणामों को समझने और पशुओं को संतुलित राशन देने के महत्व को पहचाने की आवश्यकता है।

कंपनी ने सख्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं के साथ **''सहज सुदाना''** ब्रांड नाम के तहत उच्च गुणवत्ता, संतुलित पशु चारा और **''सहज मिन''** ब्रांड नाम के तहत क्षेत्र–विशिष्ट चेलेटेड खनिज खनिज मिश्रण प्रदान किया है। पशु आहार दो प्रकारों में उपलब्ध है, जैसे सहज सुदाना (बीआईएस टाईप II) और सहज सुदाना गोल्ड (बीआईएस टाइप I) सहज सुदाना गोल्ड यूरिया मुक्त बीआईएस टाईप–I ऊर्जा समृद्ध पशु आहार है। कंपनी ने कैशलेस लेनदेन के माध्यम से मिल्क पूलिंग पॉइंट (एमपीपी) स्तर पर अपने उत्पादक सदस्यों को इन उत्पादों की उपलब्धता के लिए प्रतिबद्ध किया है, उत्पादों की सर्वोत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सख्त गुणवत्ता उपाय किए गए हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी में 9,982 मीट्रिक टन पशु चारा, 231 मीट्रिक टन खनिज मिश्रण और 29 मीट्रिक टन चारा बीज की बिक्री हासिल की है।

वित्त वर्ष 2024–25 में आगे बढ़ते हुए, कंपनी का लक्ष्य 13,512 मीट्रिक टन पशु चारा, 346.5 मीट्रिक टन खनिज मिश्रण और 52 मीट्रिक टन चारा बीज बेचने का है।

कृत्रिम गर्भाधान :

कंपनी के पास व्यवहार्य डोरस्टेप कृत्रिम गर्भाधान (एआई) डिलीवरी सेवाओं के लिए एक स्थापित मॉडल है, जिसने अच्छी तरह से प्रशिक्षित योग्य एआई तकनीशियनों के माध्यम से एआई को निष्पादित करने में मदद की है, जो दुधारू पशुओं की उत्पादकता में सुधार करने, दूध उत्पादन की लागत को कम करने और किसानों के दरवाजे पर शीर्ष आनुवंशिकी का उपयोग करने तथा किसानों की आय अधिकतम करती हैं। कंपनी किसानों को सीधे उच्च गुणवत्ता वाले आनुवंशिकी (एसएजी, एनडीडीबी–डीएस द्वारा प्रबंधित) की पेशकश करने पशुधन नस्लों को बढ़ाने के लिए समर्पित है।

कंपनी गर्भधारण दर बढ़ाने, अंतर–बांत अवधि को कम करने और अंततः डेयरी पशुओं के उत्पादक जीवनचक्र को बढ़ाने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का पालन करने पर जोर देती है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने अत्यधिक कुशल MAITs द्वारा 6.07 लाख AI का प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष 2024–25 में आगे बढ़ते हुए, कंपनी का लक्ष्य 500 एआईसी द्वारा 6.47 लाख एआई प्रदर्शन करना है।

स्तनशोध नियंत्रण सामान्यीकरण परियोजना :

यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 60%–70% स्तनशोध के नुकसान उप–नैदानिक रूप के कारण होते हैं।, जिस पर अक्सर किसानों का ध्यान नहीं जाता है। सब–क्लिनिकल स्तनशोध की पहचान और उपचार के लिए एक लागत प्रभावी क्षेत्र–स्तरीय नियंत्रण कार्यक्रम विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त, एथनो–वेटरनरी मेडिसिन (ईवीएम) के उपयोग को नैदानिक और क्रोनिक स्तनशोध के प्रबंधन, दूध में एंटीबायोटिक अवशेषों और रोगाणुरोधी प्रतिरोध को संबोधित करने के लिए एक स्थायी समाधान के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। विस्तार सेवाएँ पोस्टर और ईवीएम पुस्तिका के माध्यम से किसानों को जागरूकता और ज्ञान हस्तांतरण भी प्रदान कर रही हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, स्तनशोध नियंत्रण लोकप्रियकरण परियोजना के माध्यम से 453 पशुओं का

स्तनशोध के लिए और 1,031 पशुओं का अन्य बीमारियों के लिए इलाज किया गया, जहां इलाज कर दर क्रमश: 84% और 79% थी। वित्त वर्ष 2024–25 में आगे बढ़ते हुए, कंपनी का लक्ष्य अपने मिल्क शेड क्षेत्र में सबक्लिनिकल स्तनशोध स्क्रीनिंग (सीएमटी द्वारा) और एथनो पशु चिकित्सा के उपयोग के कवरेज को बढ़ाना है।

विक्री एवं विपणन

हम सभी जानते हैं कि दूध को एक संपूर्ण और आवश्यक खाद्य पदार्थ माना जाता है और यह सभी आयु वर्ग के बीच एक लोकप्रिय भोजन है। पिछले कुछ वर्षों में, आय और उपभोग पैटर्न में बदलाव के कारण प्रसंस्कृत दूध और दूध से बने उत्पादों की मांग बढ़ रही है। लोग अब पैकेज्ड दूध के स्वास्थ्य लाभों के बारे में अधिक जागरूक हैं और अपनी खरीददारी को असंगठित दूध से लेकर ब्रांडेड डेयरी उत्पादों की ओर स्थानांतरित कर रहे हैं।

उपर्युक्त कारकों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा 2016 में पॉली पैक दूध (पीपीएम) और अन्य दूध उत्पादों की बिक्री के माध्यम से ''सहज'' ब्रांड लॉन्च किया गया था। तब से, कंपनी का ब्रांड बाजार में उचित वृद्धि के साथ बढ़ रहा है और इसकी पहुँच में भी सुधार हो रहा है। उपभोक्ता अब अधिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और अपने खाद्य उत्पादों में स्वास्थ्य लाभ की मांग करते हैं। कंपनी हमेशा ताजगी और पौष्टिकता बरकरार रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाले दूध और दूध उत्पाद उपलब्ध कराने में विश्वास रखती है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, संकेन्द्रित प्रयासों से, कंपनी आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, बदायूँ, मुरादाबाद, मथुरा, भरतपुर, बरेली, दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, ग्वालियर, सहारनपुर और सोनीपत जिलों में बड़े पैमाने पर अपने दूध और दूध उत्पादों की बिक्री करने में सक्षम रही।

नीचे दी गई तालिका, पिछले वर्ष के दौरान प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत बिक्री उपलब्धि को दर्शाती है:

खंड	इकाई	बिक्री
पीपीएम	एलपीडी	36179
छाछ	एलपीडी	1288
दही	किलोग्राम प्रतिदिन	3122
घी	मीट्रिक टन	402.78

इसके अलावा, दूध की खरीद में उच्च अनुमानित वृद्धि और खुदरा बिक्री की मध्यम चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी ने अपने पीपीएम और उत्पाद की मात्रा को वित्तीय वर्ष 24–25 में मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजिटेबिल प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। कंपनी, केवल अपना घी विनिर्माण जारी रखेगी।

उत्पादक संस्थान निर्माण :

उत्पादक संस्थान निर्माण (पीआईबी) का लक्ष्य दूध उत्पादक सदस्यों को व्यवस्थित और मूल्य आधारित सहायता प्रदान करके ग्रामीण समृद्धि के लिए बेहतर प्रशासन और कार्यप्रणाली के माध्यम से व्यवसाय का निर्माण करना है। शुरुआत से ही कंपनी द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों से, सदस्यों के बीच बहुत बड़ी संख्या में अनौपचारित समूहों का गठन किया गया, जिन्हें ग्राम संपर्क समूह (वीसीजी) और सदस्य संबंध समूह (एमआरजी) के रूप में जाना जाता है, जो कंपनी को दूध देने में लगातार योगदान दे रहे थे। इसके अलावा, पिछले वर्ष में 31 मार्च, 2024 तक वीसीजी के रूप में कुल 10,248 सदस्यों और एमआरजी के रूप में 2,682 सदस्यों को नामांकित किया गया है। इन वीसीजी और एमआरजी सदस्यों ने मिल्क पूलिंग पॉइंट्स (एमपीपी) की प्रगति पर चर्चा और समीक्षा करने के लिए संरचित बैठकें आयोजित की हैं और अपने विकास को साझा किया है।

इसके अलावा, पूरे वर्ष लगातार प्रयासों के साथ, कंपनी ने नॉन–पौरर सर्वेक्षण और सदस्यों के साथ घर–घर जाकर बातचीज आदि का आयोजन किया है, जिसके माध्यम से एक सकारात्मक प्रभाव देखा गया जिसके परिणामस्वरूप नॉन–पौरर सदस्यों के साथ एक मजबूत स्थिर संबंध बना और दूसरी ओर 31 मार्च, 2024 तक 73,319 सदस्य दर्ज किए गए, जो कंपनी की स्थापना के बाद से सबसे अधिक संख्या थी। कंपनी ने सिस्टम में अधिक पारदर्शिता भी स्थापित की है और पंजीकृत सदस्यों को दूध लेनदेन संदेशों के माध्यम से ''सदस्यों और कंपनी'' के बीच एक भरोसेमंद संबंध बनाया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने लैंगिक भेदभाव के बिना अधिकतम सदस्यता की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसके परिणामस्वरूप कुल पंजीकृत 90,984 सदस्यों में से 45,052 महिला सदस्यों का नामांकन हुआ है, यानी 50% महिला सदस्य कंपनी से जुड़ी थीं और उन्हें स्वंय स्वतंत्र रहकर इस पर गर्व महसूस हुआ।

गुणवत्ता आश्वासन

गुणवत्ता आश्वासन डोमेन के तहत, कंपनी ने इस वर्ष के दौरान बीएमसी एमसीसी में प्रौद्योगिकियों को उन्नत करके बीएमसी/दूध शीतलन केंद्रों के बुनियादी ढांचे में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। कंपनी ने

खरीद स्तर पर कच्चे दूध की गुणवत्ता पर हमारे नियंत्रण और निगरानी को बेहतर बनाने के लिए नवीनतम तकनीकों के उपयोग से संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में निगरानी प्रणाली को और मजबूत किया है। इस तरह के हस्तक्षेप हमारे ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता वाला दूध प्रदान करने और एक सकारात्मक ब्रांड छवि बनाने और साथ ही ग्राहकों का विश्वास अर्जित करने की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को साबित करते हैं। कंपनी ने कच्चे दूध की एमबीआरटी में काफी बढ़ोत्तरी दर्ज की है, जो 112 मिनट थी।

आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से गंभीर प्रक्रियाओं और विश्लेषण का पालन किया गया जिसमें दूध और दूध उत्पादों की भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्मजीव विज्ञानी निगरानी शामिल है। एफएसएसएआई परीक्षण प्रोटोकॉल के अनुसार मिलावट, परिरक्षकों और संदूषकों के परीक्षणों के अलावा सभी भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्मजीव विज्ञानी मापदंडों के लिए 32 प्रकार के कड़े गुणवत्ता परीक्षण किए जा रहे हैं। सफाई एवं निगरानी पर कड़ी नजर रखी जा रही है। गुणवत्ता को एक वाक्य में **''उत्कृष्टता की डिग्री''** के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

कंपनी में दूध गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य दूध उत्पादक सदस्यों को उचित और लाभकारी मूल्य प्रदान करना है, जिन्होंने कंपनी द्वारा बनाए गए मानदंडों के अनुसार व्यवस्थित रूप से दूध डाला है। गुणवत्ता अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, कंपनी ने हमारी संपूर्ण डेयरी श्रृंखला में विभिन्न गुणवत्ता प्रणाली को डिजाइन और कार्यान्वित किया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय नियामक मानकों के साथ–साथ उद्योग मानदंडों के अनुरूप दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार करना है।

समीझाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने दूध की गुणवत्ता में सुधार और रखरखाव के लिए कंपनी के लैब प्रभारियों/रसायनज्ञों/गुणवत्ता कर्मियों और एमसीसी प्रभारियों के लिए विभिन्न आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दूध की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए दूध परीक्षण विधियों, एफएसएसएआई मानदंडों, स्वच्छता, सुरक्षा, अच्छी विनिर्माण प्रथाओं, स्वच्छ दूध उत्पादन, जगह में सफाई और अच्छी लैब प्रथाओं को शामिल किया गया। कंपनी ने सुरक्षा और विश्वनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त गुणवत्ता तंत्र स्थापित किया है।

व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ वित्तीय वर्ष के खत्म होने के पश्चात :

ऐसे कोई भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती

हैं, जो वित्तीय वर्ष के अंत से संबंधित वित्तीय विवरण और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच हुई हैं।

पूंजी संरचना और अंशों का आवंटन और सदस्यता :

कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी अधिकृत अंश पूंजी में कोई बदलाव नहीं किया हैं, कंपनी की अधिकृत अंश पूंजी 31 मार्च, 2024 तक रु. 45 करोड़ थी। कंपनी ने वर्ष के दौरान 6,64,565 इक्विटी अंश प्रति अंश 100/– रु. 68,131 सदस्यों (नए और मौजूदा) को जारी किए हैं। वित्त वर्ष की शुरुआत में कंपनी की उपार्जित और प्रदत्त अंश पूंजी रु. 28.56 करोड़ थी और 31 मार्च, 2024 को रु. 27.90 करोड़ थी।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने 38,660 सदस्यों के 7,30,730 अंश आत्मसमर्पण/सदस्यता रद्दता के कारण रद्द कर दिए और वर्ष के दौरान नए और मौजूदा सदस्यों को उक्त आत्मसमर्पण/रद्द किए गए अंशों को फिर से जारी किया गया है।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने कोई समता अंश या अधिमान अंश या कोई प्रतिभूति जारी नहीं की है जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों को शेयरों में बदलने का अधिकार या विकल्प हो।

31 मार्च, 2024 तक, कंपनी का कुल सदस्यता आधार 90,984 सदस्यों का था। 31 मार्च, 2024 के बाद, कंपनी ने 22,281 नए सदस्यों को नामांकित किया है और 1,165 सदस्यों की सदस्यता सरेंडर/रद्द कर दी गई है। इसलिए इस रिपोर्ट की तारीख तक सदस्यों की कुल संख्या 1,12,100 सदस्य है।

सदस्यता रद्द होने से बचने के लिए, श्रेणी–ए, श्रेणी–बी और श्रेणी–सी से संबंधित सभी सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे प्रांसगिक वित्तीय वर्षों के दौरान सदस्यता जारी रखने के लिए अपने संबंधित वर्ग के सभी संरक्षण मानदंडों और शर्तों को पूरा करें।

वार्षिक आम सभा में उपस्थिति एवं मतदान अधिकार :

आज की दिनांक में कुल 1,12,100 सदस्यों में से,

22,666 सदस्यों (श्रेणी–ए, श्रेणी–बी और श्रेणी–सी को मिलाकर) को 11वीं वार्षिक आम सभा में पेश किए जाने वाले सभी प्रस्तावों पर वोट देने का अधिकार है (निदेशक के संबंधित वर्ग के चुनाव पर मतदान सहित) क्योंकि उन्होंने संबंधित वर्ग के लिए निर्धारित सभी शर्तों को पूरा कर लिया है।

9,198 सदस्यों को ग्यारहवीं वार्षिक आम सभा में पेश किए जाने वाले सभी प्रस्तावों (अपने संबंधित वर्ग के निदेशकों के चुनाव पर मतदान को छोड़कर) पर वोट देने का अधिकार है क्योंकि वे वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी को न्यूनतम दिन और लीटर दूध की आपूर्ति पूरे करने के बावजूद अपने संबंधित वर्ग की सभी शर्तों को पूरा करने में विफल रहे।

80,236 सदस्य ग्यारहवीं वार्षिक आम सभा में भाग लेने के हकदार हैं लेकिन उन्हें 11वीं वार्षिक आम सभा में पेश किए जाने वाले किसी भी प्रस्ताव पर वोट देने का अधिकार नहीं है।

नए सदस्य, जिन्हें 31 मार्च 2024 के बाद शामिल किया गया था, वे वित्त वर्ष 2023–24 के लिए लाभांश के साथ–साथ ग्यारहवीं एजीएम में मतदान के अधिकार के हकदार नहीं होंगे।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) :

अधिनियम की धारा 124, 125 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के प्रावधानों के अनुसार, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) नियम, 2016 (इसके बाद 'आईईपीएफ नियम के रूप में संदर्भित) के साथ पढ़े') (तत्समय लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुन: अधिनियमन सहित), वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए सीमित रिटर्न (लाभांश) की राशि रु. 9,03,300/– जो अवैतनिक लाभांश खाते में पड़े रहने की तारीख से 7 वर्षों की अवधि तक अवैतनिक/लावारिस रहा, कंपनी द्वारा केन्द्र सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित कर दिया गया है।

इसके अलावा, कंपनी के पास कोई अंतर्निहित शेयर नहीं है जिसे उपर्युक्त हस्तांतरण के अनुसार आईईपीएफ में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। इसलिए, इसके संबंध में कोई आवश्यक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी।

अवैतनिक/दावा न किए गए लाभांश की सूची कंपनी की वेबसाइट www.saahajmilk.com पर उपलब्ध है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि उक्त सूची की जांच करें और यदि उनके कारण कोई उपरोक्त राशि उक्त सूचियों में बकाया रह गई है, तो उसे जारी करने के लिए कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।

बोर्ड की बैठकें :

कंपनी के व्यवसाय के लेन–देन के लिए बोर्ड की समय–समय पर बैठकें होती हैं और विचाराधीन वर्ष के

दौरान सात बोर्ड बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गई :

बोर्ड बैठकों की क्र.स.	बोर्ड बैठकों की तिथि	बोर्ड के कुल सदस्य	उपस्थिति निदेशक
46 वीं बोर्ड बैठक	12 मई, 2023	13	13
47 वीं बोर्ड बैठक	17 जुलाई, 2023	14	13
48 वीं बोर्ड बैठक	18 अगसत, 2023	14	12
49 वीं बोर्ड बैठक	12 अक्टूबर, 2023	14	11
50 वीं बोर्ड बैठक	4 दिसम्बर, 2023	14	13
51 वीं बोर्ड बैठक	5 फरवरी, 2024	13	12
52 वीं बोर्ड बैठक	27 मार्च, 2024	14	14

<u>समिति</u>

<u>हितधारक संबंध समिति</u>

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5) की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी ने शेयरधारकों की शिकायत को हल करने के लिए बोर्ड द्वारा हितधारक संबंध समिति का गठन किया गया था। समिति की संरचना इस प्रकार हैं :

श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष
श्री शिवप्रताप, सदस्य
श्री बसंत चौधरी, सदस्य

समिति का गठन 25 मार्च, 2021 को किया गया था। समिति की एक बार बैठक हुई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

हितधारक संबंध समिति बैठक संख्या	समिति बैठक की दिनांक	समिति के सदस्य	समिति में उपस्थित सदस्य
तृतीय	27 मार्च, 2024	3	3

कोई शिकायत दर्ज नहीं करायी गयी

निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान और उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित कंपनी की

नीति :

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित धारा 178(1) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

निदेशक मण्डल में परिवर्तन :

श्री अनुरूद्ध कुमार और श्रीमती प्रेमलता 16 सितंबर, 2023 को कंपनी के निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुई। श्री माणिक चंद्र ने 20 जनवरी, 2024 को निदेशक के रूप में इस्तीफा दे दिया तथा बोर्ड निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना करता है।

श्रीमती सुलेखा और श्रीमती उमा भदौरिया को 16 सितंबर, 2023 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री योगेश कुमार जादौन को 16 सितंबर, 2023 से कंपनी के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। श्री सौगत मित्रा को फिर से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 27 जुलाई, 2023 से विशेषज्ञ निदेशक श्रीमती सुनीत को 5 फरवरी, 2024 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। डॉ. संजय कुमार मगनलाल गोवानी को 12 मई, 2023 से तथा डॉ. रघु हसन मल्लेगौड़ा को 24 मई, 2024 से विशेषज्ञ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के तहत कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है।

निदेशक मंडल की संरचना और आगामी वार्षिक सभा में निदेशकों की नियुक्ति/सेवानिवृत्ति :

कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.5 में सदस्यों को उनके संरक्षण और बोर्ड में ऐसे वर्गों के सदस्यों के प्रतिनिधित्व के आधार पर, जहां तक संभव हो, विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए मानदंडों के निर्धारण का प्रावधान है। संरक्षण के आधार पर सदस्यों को तीन अलग–अलग वर्गों अर्थात् श्रेणी–ए, श्रेणी–बी और रेणी–सी में वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंड को कंपनी की छठी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान सदस्यों द्वारा संरक्षण मानदंडों की पूर्ति के संबंध में डेटा के विश्लेषण के आधार पर यह पाया गया है कि, श्रेणी–ए, श्रेणी–बी और श्रेणी–सी के सदस्यों का संरक्षण योगदान क्रमशः 21%, 26% और 53% था। तदनुसार, प्रत्येग वर्ग के सदस्यों के संरक्षण के आधार पर बोर्ड में

प्रत्येक वर्ग के सदस्यों का प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाले बोर्ड की संरचना में क्रमशः श्रेणी–ए के लिए 2 निदेशक, श्रेणी–बी के लिए 3 निदेशक और श्रेणी–सी के लिए 6 निदेशक शामिल हैं। कंपनी अनुच्छेद 9.5 की आवश्यकता को निम्नानुसार पूरा करेगी :–

श्रेणी–ए के निदेशक :

वर्तमान में बोर्ड में श्रेणी–ए का प्रतिनिधित्व करने वाले 1 निदेशक हैं। कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, ''श्रेणी–ए'' का प्रतिनिधित्व करने वाले कंपनी के निदेशक श्री उपेन्द्र सिंह कंपनी की 11 वीं वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होंगे।

नामांकन समिति की सिफारिश के आधार पर, बोर्ड श्री उपेन्द्र ''श्रेणी–ए'' के स्थान पर ''श्रेणी–ए'' का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री अवनेश कुमार की नियुक्ति की सिफारिश करता है, जो ''श्रेणी–ए'' की रिक्ति को भरने के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं।

बोर्ड ''श्रेणी–ए'' की रिक्ति को भरने के लिए ''श्रेणी–ए'' का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री शिलेंद्र कुमार की नियुक्ति की भी सिफारिश करता है।

श्रेणी–बी के निदेशक :

वर्तमान में बोर्ड में श्रेणी–बी का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 निदेशक हैं। कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, ''श्रेणी–बी'' का प्रतिनिधित्व करने वाली कंपनी की निदेशक श्रीमती सपना कंपनी की 11वीं वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होंगी। श्रीमती सपना, पात्र होने के नाते खुद को पुनः नियुक्ति के लिए पेश करती है।

नामांकन समिति की सिफारिश के आधार पर, बोर्ड श्रीमती की पुनः नियुक्ति की सिफारिश करता है। सपना ''श्रेणी–बी'' की रिक्ति को भरने के लिए ''श्रेणी–बी'' का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।

श्रेणी–सी के निदेशक :

वर्तमान में बोर्ड में श्रेणी–सी का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 निदेशक हैं और 1 निदेशक को ''नो क्लास'' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, ''श्रेणी–सी'' का प्रतिनिधित्व करने वाले कंपनी के निदेशक श्री रजनीश कुमार कंपनी की 11वीं वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होंगे।

नामांकन समिति की सिफारिश के आधार पर, बोर्ड ''श्रेणी–सी'' श्री रजनीश कुमार, जो ''श्रेणी–सी'' की रिक्ति को भरने के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं, के स्थान पर ''श्रेणी–सी'' का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रीमती रजनी की नियुक्ति की सिफारिश करता है।

अतिरिक्त निदेशक :

अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.7 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार श्रीमती सुनीत को 05.02.2024 को कंपनी के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और वह आगामी वार्षिक आम सभा की तारीख तक पद पर बने रहेंगी और कंपनी की ग्यारहवीं वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होंगी। श्रीमती सुनीत निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है।

नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों के नाम, योग्यता और अन्य विवरण कंपनी के ग्यारहवीं वार्षिक आम सभा आयोजित करने वाले नोटिस के साथ संलग्न है।

इससे कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.5 और 9.6 के तहत अनुमेय वर्ग–ए में निदेशकों की कुल संख्या 2, वर्ग–बी में 3 और वर्ग–सी में 5 निदेशक हो जाएगी, यदि ग्यारहवीं वार्षिक आम सभा में उपर्युक्त प्रस्तावित निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई।

निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार, कंपनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि –

1. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, अधिनियम की अनुसूची III के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के साथ पढ़े हुए लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और इससे कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं हुआ है।

2. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि कंपनी के मामलों की स्थिति और वर्ष के लिए कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष दृश्य दिया जा सके।

3. निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के

लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है।

4. निदेशकों ने वार्षिक खाते 'चालू संस्था' के आधार पर तैयार किए हैं।
5. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

लेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी :

समीक्षा वर्ष के दौरान, वैधानिक लेखा परीक्षक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत धोखाधड़ी का कोई उदाहरण नहीं मिला।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण :

कंपनी के पास उचित और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी संपत्तियां सुरक्षित और संरक्षित हैं और लेनदेन अधिकृत, रिकार्ड और सही ढंग से रिपोर्ट किए गए हैं। वर्ष के दौरान, डिजाइन या संचालन में कोई रिपोर्ट योग्य सामग्री संबंधी कमजोरी नहीं देखी गई।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZF के अनुसार, मैसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता का मूल्यांकन किया है और समवर्ती रूप से मूल्य के संदर्भ में लेनदेन का ऑडिट किया है।

नियंत्रण/सहायक/सहयोगी कंपनियाँ :

कंपनी की कोई नियंत्रक/सहायक/सहयोगी कंपनी नहीं है।

जमा :

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार जमाओं से संबंधित विवरण के संबंध में किसी प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कोई जमा नहीं थी।

ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है, कोई निवेश नहीं किया है, गारंटी नहीं दी है या

प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की हैं। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंध और व्यवस्थाएँ :

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कोई संबंधित पार्टी लेनदेन दर्ज नहीं किया गया था। इसके अलावा, कंपनी द्वारा प्रवर्तकों, निदेशकों या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रपत्र एओसी–2 में प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

निगमित समााजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) :

कंपनी ने एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (सीएसआर नीति) तैयार की है जिसमें कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को दर्शाया गया है। बनाई गई नीति का उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं को शुरू करना है। बोर्ड द्वारा अपनाई गई निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति कंपनी की वेबसाइट https://saahajmilk.com/saahaj-policies/ पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम की धारा 135(9) के अनुसार, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है। इसलिए, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के कार्यों का निर्वहन कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान, कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार सीएसआर गतिविधियों के रूप में चिन्हित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) में रु. 13,74,555/– की राशि का योगदान दिया।

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट **अनुबंध ए** के रूप में निर्धारित प्रारूप के अनुसार संलग्न है और इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

जोखिम प्रबंधन नीति :

जोखिम प्रबंधन जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्राथमिकता निर्धारण की प्रक्रिया है जिसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की संभावना और/या प्रभाव को कम करने, निगरानी करने और कम

करने/नियंत्रित करने या अवसरों की प्राप्ति को अधिकतम करने के लिए समन्वित प्रयास किए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए इन प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाती है कि प्रबंधन उचित रूप से परिभाषित ढांचे के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करता है। कंपनी द्वारा प्रमुख जोखिमों की पहचान की गई है और व्यवसाय, वित्तीय, मानवीय और वैधानिक अनुपालन आदि क्षेत्रों में इसकी शमन प्रक्रिया/उपाय तैयार किए गए हैं।

कंपनी ने एक जोखिम प्रबंधन नीति विकसित और कार्यान्वित की है और इसे बोर्ड द्वारा अपनाया गया है।

ऊर्जा का संरक्षण, अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी विनिमय आय एवं निकासी :

(i) ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा की गई गतिविधियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधानों के तहत आवश्यक विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ii) विदेशी मुद्रा आय और व्यय

आय – शून्य
निकासी – शून्य

सामान्य कार्यालय और प्रकाश प्रयोजनों को छोड़कर कंपनी ने किसी अन्य प्रकार की विद्युत खपत नहीं की है।

सतर्कता तंत्र (विजिल मैकेनिज्म) :

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों और कर्मचारियों के लिए एक सतर्कता तंत्र की स्थापना की है और बोर्ड ने सतर्कता तंत्र की देखरेख का कार्य कंपनी के मुख्य कार्यकारी को सौंप दिया है। विजिल मैकेनिज्म (व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी) कंपनी की वेबसाइट https://saahajmilk.com/saahaj-policies/ पर उपलब्ध है।

नियामकों, न्यायलयों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, नियामकों, अदालतों, न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है, जो कंपनी की वर्तमान स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करेगा।

अंकेक्षक :

मैसर्स एस.बी.बिलिमोरिया एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट 2014 से कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार, एक ऑडिट फर्म को लगातार 5 वर्षों के 2 से अधिक कार्यकाल के लिए ऑडिटर के रूप में दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है। उनका कार्यकाल 10 वर्ष पूरे होने के बाद कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में समाप्त हो जाएगा।

आपके निदेशक मैसर्स एस.एन.धवन एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (एफआरएन 000050एन/एन500045) को मैसर्स एस.बी.बिलिमोरिया एंड कंपनी के स्थान पर कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति की अनुसंशा करते हैं। मैसर्स एस.एन. धवन एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट आगामी एजीएम में अपनी नियुक्ति के बाद वर्ष 2029 में होने वाली 16वीं एजीएम के समापन तक पद पर बने रहेंगे। अधिनियम के तहत निर्धारित सीमाएँ और वे नियुक्ति के लिए आयोग्य नहीं है।

लागत अभिलेख :

धारा 148 के अनुसार लागत लेखा परीक्षा का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट/सचिवीय परीक्षकों की रिपोर्ट पर बोर्ड की टिप्पणी :

वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों को जब खातों और लेखांकन नीतियों के प्रासंगिक नोट्स के साथ पढ़ी जाती हैं, तो स्व–व्याख्यात्मक होती हैं और किसी और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं होती है। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए सचिवीय ऑडिट कंपनी पर लागू नहीं था।

वार्षिक रिटर्न का वेब लिंक

कंपनी की वेबसाइट www.saahajmilk.com है। कंपनी का वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। इसका लिंक है : http://saahajmilk.com/annual-general-meeting/

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है और सुरक्षित कार्यस्थल नीति को लागू किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई घटना दर्ज नहीं की गई।

इंसोल्वेंसी एण्ड बैंकक्रपसी कोड, 2016 :

वर्ष के दौरान इंसोल्वेंसी एण्ड बैंकक्रपसी कोड, 2016 (2016 का 31) के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया था और कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी।

एक मुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन की राशि के बीच अंतर का विवरण और उसके कारण :

लागू नहीं।

कर्मचारियों का विवरण :

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के किसी भी कर्मचारी को अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा से अधिक वेतन नहीं मिला है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के साथ पठित संशोधित कंपनी प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अनुसार कर्मचारियों का कोई विवरण नहीं दिया जा रहा है।

सराहना और आभार :

निदेशक मंडल समीक्षाधीन अवधि के दौरान सदस्यों, व्यावसायिक सहयोगियों के समर्थन और योगदान के लिए उनकी सराहना करना चाहता है। निदेशक कंपनी को उनके निरंतर समर्थन के लिए कर्मचारियों, बैंकरों और आंतरिक और वैधानिक लेखा परीक्षकों दोनों को भी धन्यवाद देना चाहते है।

हम वर्ष के दौरान उनके सहयोग और समर्थन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड के प्रति अपना गहरा आभार व्यक्त करना चहते हैं।

वास्ते निदेशक मण्डल

ह./–
रजनीश कुमार
अध्यक्ष एवं निदेशक
डी.आई.एन. : 07894245

दिनांक : 22 अगस्त, 2024
स्थान : आगरा

संलग्नक–ए

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सी.एस.आर. गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1) कंपनी की सीएसआर नीति के संबंध में संक्षिप्त रूपरेखा :

कंपनी ने सीएसआर नीति अपनाई है जिसमें कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में वर्णिक गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें मुख्य रूप से शामिल हैं :

क) स्वास्थ्य
ख) शिक्षा
ग) स्वच्छता सुविधाएं
घ) पर्यावरणीय स्थिरता
ड़) लैंगिक समानता को बढ़ावा देना
च) व्यावसायिक कौशल में सुधार
छ) राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की रक्षा करना
ज) सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय
झ) पीएम राष्ट्रीय राहत कोष या पीएम केयर्स फंड या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य फंड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास और राहत और कल्याण के लिए योगदान
ञ) इन्क्यूबेटरस या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान
ट) प्राकृतिक आपदा के समय गतिविधियों को अंजाम देना या आपदा प्रबंधन प्रणाली में शामिल होना।

2) सीएसआर समिति की संरचना :

लागू नहीं (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) के प्रावधानों के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति के गठन की आवश्यकता कंपनी को नहीं है। इसलिए, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति के कार्यों का निर्वहन किया जा रहा है।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद का स्वरूप	वर्ष के दौरान सी.एस.आर. समिति की संपन्न बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सी.एस.आर. समिति की उन बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया गया
---- लागू नहीं ----				

3) **वह वेब–लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाऐं कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई हैं।**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति के गठन की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

कंपनी की सीएसआर नीति http://saahajmilk.com/saahaj-policies/ पर उपलब्ध है।

वित्त वर्ष 2023–24 में संचालित की गई कंपनी की सीएसआर परियोजना का विवरण http://saahajmilk.com/cms-projects/ पर उपलब्ध है।

4) **कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014, यदि लागू हो, के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में निष्पादित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का ब्यौरा प्रदान करें (रिपोर्ट संलग्न करें)।**

कंपनी को वर्तमान में कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में प्रभाव मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है।

5) **(a) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ – रु. 6,87,27,667/–**

(b) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ – रु. 13,74,555/–

(c) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजना का कार्यक्रमों या गतिविधियों का अधिशेष – शून्य

(d) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन हेतु आवश्यक राशि, यदि कोई हो – शून्य

(e) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर देनदारी (b+c-d) – रु. 13,74,555/–

6. (a) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के विरूद्ध खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	इस अधिनियम की अनुसूची VII में वर्णित कार्य–कलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का अवस्थिति		परि–योजना अवधि	परि–योजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सी.एस.आर. खाते में अंतरित की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन रीति सीधे (हाँ/ नहीं)	कार्यान्वयन की रीति – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर रजि–स्ट्रीकरण संख्या
						—— लागू नहीं ——						

वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परि–योजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में वर्णित कार्यकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना की अवस्थिति		वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका सीधे (हाँ / नहीं)	कार्यान्वयन की रीति कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या
1.	प्रधान–मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	अनुसूची VII (VIII) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	सम्पूर्ण भारत	सम्पूर्ण भारत	सम्पूर्ण भारत	रु. 13,74,555/–	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल योग					रु. 13,74,555/–			

b) **प्रशासनिक ऊपरी व्यय में खर्च की गई राशि – शून्य**

c) **प्रभाव मूल्यांकन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो – लागू नहीं**

d) **वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (अ+ब+स) – रु. 13,74,555/–**

e) **वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित (खर्च) अथवा अव्ययित सीएसआर राशि :**

	खर्च न की गई (अव्ययित) राशि (रुपये में)				
वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित (खर्च) कुल राशि (रूपये में)	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अधीन यथा – विनिर्दिष्ठ किसी निधि में अंतरित राशि।		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
रु. 13,74,555/–	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

f) **समायोजित (सेट आफ) करने के लिए अधिक राशि, यदि कोई हो –**

क्र. सं.	विशिष्टी	राशि (रुपये में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो (2) प्रतिशत	रु. 13,74,555/–
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि	रु. 13,74,555/–
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली अधिक राशि [(ii) - (i)]	शून्य
(iv)	पूर्व वित्तीय वर्ष के सीएसआर परियोजना या कार्यक्रमों या क्रियाकलापों से उद्भूत अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन (सेट आफ) के लिए उपलब्ध राशि [(iii) - (iv)]	शून्य

7) **पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा :**

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपये में)	समीक्षाधीन (रिपोर्टिंग) वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के अधीन यथा–विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)
				निधि का नाम	राशि (रुपये में)	अंतरण की तारीख	
---- लागू नहीं ----							

8) **पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सी.एस.आर. व्यय के माध्यम से इस प्रकार सृजित अथवा अधिगृहीत परिसंपत्ति से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत करें : लागू नहीं**
यदि हाँ, तो निमित/अधिग्रहति पूँजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें : एन/ए

वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें :

क्र. सं.	संपत्ति या संपत्ति का संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)	संपत्ति या संपत्ति का पिन कोड	निर्माण की तारीख	सीएसआर की राशि खर्च की गई	पंजीकृत स्वामी की इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण
---- लागू नहीं ----					

(सभी क्षेत्रों को राजस्व रिकॉर्ड में प्रदर्शित होने के रूप में लिया जाना चाहिए फ्लैट नंबर, मकान नंबर, नगर निगम कार्यालय / नगर निगम / ग्राम पंचायत को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और अचल संपत्ति के क्षेत्र के साथ–साथ सीमाएं भी निर्दिष्ट की जानी चाहिए)।

9) **कारणों को विनिर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशित खर्च करने असफल हुई हो –**

लागू नहीं (कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए अपना सीएसआर दायित्व पूर्ण रूप से निर्वाहित किया है।)

ह/–
रजनीश कुमार
अध्यक्ष एवं निदेशक
डी.आई.एन. : 07894245

दिनांक : 22 अगस्त, 2024
स्थान : आगरा

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

के सदस्यों को वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय :

हमने सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण जिसमें दिनांक 31 मार्च 2024 को आर्थिक चिट्ठा (बैलेंस शीट), समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण शामिल हैं और संक्षिप्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का अंकेक्षण किया है।

हमारी राय में और हमारी जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') द्वारा आवश्यक जानकारी को उचित तरीके से देते हुए और कम्पनी के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, (लेखा मानक) नियम 2021 के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक कम्पनी के मामलों की स्थिति के अनुसार (लेखा मानक) और आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए अन्य लेखांकर सिद्धान्तों को संशोधित किया गया है, जो समाप्त होने वाले वर्ष के लाभ एवं रोकड़ प्रवाह हेतु है।

राय के लिए आधार :

हमने अधिनियम (SAs) की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण के मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया गया। मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए अंकेक्षक के उत्तरदायित्व में वर्णित किया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट इन्स्टीयूट (ICAI) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र हैं, जो उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ हैं, जो अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक है, उनके अधीन बनाये, हमने इन आवश्यकताओं और ICAI की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि वित्तीय विवरणों पर हमारी ऑडिट राय पर आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी :

- वित्तीय सूचनाओं के अतिरिक्त कम्पनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में निदेशकों की रिपोर्ट सम्मिलित है किन्तु इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है।

- वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को सम्मिलित नहीं करती है और हम निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

- वित्तीय वक्तव्यों की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में, हमारे उत्तरदायित्व अन्य जानकारी को अमल में लाना है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप में असंगत है, या

अंकेक्षण के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी में यह प्रतीत होता है कि भौतिक रूप से गलत होना है।

- यदि हमारे द्वारा किए गए विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इस सम्बन्ध में कोई जानकारी या सूचना गलत प्रदर्शित की गई है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है, हालांकि इस सम्बन्ध में प्रस्तुत करने हेतु कोई भी साक्ष्य नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबन्धन के उत्तरदायित्व

कम्पनी का जो निदेशक मण्डल, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) (अधिनियिम) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है इन वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के सम्बन्ध में जो वित्तीय स्थिति का सही एवं निष्पक्ष दृष्टकोण देते हैं, वित्तीय प्रदर्शन और कम्पनी के नगदी प्रवाह लेखा मानकों और अन्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसार आम तौर पर भारत में स्वीकार किए जाते हैं। इस उत्तरदायित्व में कम्पनी की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए, धोखाधड़ी, अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन और अभिलेखों का रख रखाव भी शामिल है, उचित लेखांकन नीतियों का चयन, आवेदन, निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबन्धन कम्पनी की क्षमता का आंकलन करने के लिए उत्तरदायित्व, प्रस्तुतीकरण के रूप में जारी रखने के लिए उत्तरदायी है। जैसा कि लागू होने से सम्बन्धित मामलों और लेखांकन के आधार का उपयोग करते हुए जब तक प्रबन्धन अथवा कम्पनी को बन्द करने का निर्णय रखते हों। संचालन अथवा ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मण्डल कम्पनी की वित्तीय अभिलेख प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य अंकेक्षण के बारे में उचित स्थिति प्रस्तुत करना है कि क्या धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से मुक्त है, और एक अंकेक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिसमें हमारी राय सम्मिलित है जो उचित स्थिति का प्रस्तुतीकरण है, लेकिन यहां यह दावा नहीं है कि (SAs) के अनुसार किया गया अंकेक्षण हमेशा मौजूद होने पर किसी तथ्य के गलत एवं गलतियां जो धोखाधड़ी, त्रुटि से उत्पन्न होती हैं, जो व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हो सकती हैं, का पता लगायेगा। इन वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों के प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

(SAs) के अनुसार एक अंकेक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी अंकेक्षण अवधि के दौरान इस पेशेवर रूप को बनाए रखते हैं और हम भी :

- वित्तीय विवरणों के तथ्यों में गलत विवरण के जोखिमों को प्रस्तुत कर उनका आंकलन करें, चाहें वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए अंकेक्षण प्रक्रियाओं को निष्पादित करें, अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के पर्याप्त एवं उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने

- वाले परिणाम का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक हैं, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती, गलत बयानी या आन्तरिक नियन्त्रण की अपरलेखन भी सम्मिलित हो सकती है।

- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के प्रस्तुतीकरण हेतु अंकेक्षण के लिए प्रासंगित आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की समझ प्राप्त करें, जो परिस्थितियों के अनुसार अनुरूप हैं। अधिनियम की धारा 143(3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली है और इस प्रकार के नियन्त्रणों के परिचालन हेतु प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है।

- प्रयोग की जा रही है लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, लेखांकन अनुमानों और सम्बन्धित परिणामों की तर्कशीलता का मूल्यांकन प्रबन्धक द्वारा किया गया।

- लेखा से प्राप्त होने वाले परिणामों के आधार पर प्रबन्धन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्यों के आधार पर कम्पनी के लम्बे समय तक जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकते हैं। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वित्तीय लेखों में अनिश्चितता परिलक्षित है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक रिपोर्ट से वित्तीय विवरणों में सम्बन्धित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना है। और यदि इस प्रकार के खुलासे से ऐसा करने में अपर्याप्त हैं तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य पर आधारित है, हालांकि भविष्य में होने वाली घटनाओं अथवा स्थितियों से कम्पनी के लिए एक सर्तक रहने वाली स्थिति को प्रदर्शित करता है।

- खुलासे सहित वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना का मूल्यांकन करे, और क्या वित्तीय विवरण अर्न्तनिहित लेन–देन को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति देते हैं।

  भौतिक एवं वित्तीय वक्तव्यों में व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से गलत बयानों का दुष्परिणाम है जिससे यह संभावना बनती है कि वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं, (1) हमारे अंकेक्षण के दौरान योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते है। (2) वित्तीय वक्तव्यों में किसी भी गलत विवरण का मूल्यांकन करने के लिए।

  हम अन्य मामलों में अंकेक्षण की योजना, समय और महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्षों के साथ आन्तरिक नियन्त्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को सम्मिलित करते हैं।

  हम उन लोगों के बयान भी प्रस्तुत करते हैं जिन्हें हमने स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और उन सभी मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतन्त्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जाता है।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन (रिपोर्ट)

1. अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकतानुसार, हमारी रिपोर्ट निम्न प्रकार है :–

अ. हमने वे सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए गए हैं जो हमारी जानकारी में अंकेक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थे।

ब. हमारी राय में कम्पनी ने वैधानिक रूप से आवश्यक सभी लेखाबही उचित तरीके से तैयार की हैं जो कि हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के लिए गए परीक्षण से प्रकट होते हैं।

स. इस रिपोर्ट में वर्णित कम्पनी का आर्थिक चिट्ठा, लाभ–हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप है।

द. हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

य. 31 मार्च, 2024 को कम्पनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा निदेशक मण्डल के 31 मार्च 2024 को रिकार्ड के अनुसार कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार निदेशक नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।

र. खातों के रख रखाव और उससे जुड़े मामलों से सम्बन्धित संशोधन जैसा पैराग्राफ (ब) में वर्णित है।

ल. कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर उपयुक्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के संदर्भ में तथा इस प्रकार के नियन्त्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के लिए हमारी पृथक रिपोर्ट अनुलग्नक ''अ'' को देखें। हमारी रिपोर्ट बिना किसी बदलाव के कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की उपयुक्तता तथा परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी राय प्रकट करती है।

ब. अधिनियम की धारा 197(16) के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले मामलों के सम्बन्ध में संशोधित हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार एवं हमें दी गई सूचनाओं के अनुसार, कम्पनी एक निजी कम्पनी है जो प्रबन्धकीय पारिश्रमिक से सम्बन्धित अधिनियम की धारा 197 लागू नहीं है।

स. कम्पनीज (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषय के सन्दर्भ में हमें प्रदान की गई सूचनाएं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार :

(1) कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लम्बित विधिक वाद–विवाद पर स्पष्टीकरण दिया, जो वित्तीय विवरण के नोट सं0 28 में निहित है।

(2) कम्पनी का कोई भी व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घकालीन अनुबन्ध नहीं है जिसके कारण कोई महत्वपूर्ण अनिवार्य हानियां हो।

(3) कम्पनी के द्वारा निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि में कोई राशि हस्तांतरित करने में कोई विलम्ब नहीं किया है, यदि हस्तान्तरण आवश्यक है।

(4) 1. प्रबंधन ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कम्पनी का प्रतिनिधित्व एवं परिचालन किया है, जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या : 40 में वर्णित है कि कम्पनी द्वारा कोई भी धनराशि अग्रिम अथवा उधार या तो निवेश नहीं की गई है अथवा किसी अन्य व्यक्ति / व्यक्तियों, या इकाई / इकाईयों में जिसमें विदेश संस्था मध्यस्थ के रूप में शामिल हो, चाहें वह लिखित या अन्य किसी रूप में अभिलेखित हो कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या कम्पनी द्वारा उसकी ओर से किसी भी रूप में चिन्हित की संस्था / संस्थाएं को काई गारन्टी अथवा सुरक्षा जैसी कोई सेवा आदि प्रदान की गई हो, नहीं दी गई है।

2. प्रबंधन ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कम्पनी का प्रतिनिधित्व एवं परिचालन किया है, जैसा वित्तीय विवरणों के नोट संख्या : 40 में वर्णित है कि कम्पनी द्वारा किसी भी विदेशी संस्था / संस्थान सहित किसी भी व्यक्ति / व्यक्तियों से लिखित या किसी भी अन्य रूप में अभिलेखित की गई हो, अथवा कम्पनी द्वारा किसी भी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से चिन्हित कर व्यक्ति / व्यक्तियों / या अन्य संस्था / संस्थान को किसी भी कोई गारन्टी अथवा सुरक्षा जैसी कोई सेवा में उधार अथवा निवेश करेगी।

3. सम्पन्न किए गए आडिट / लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं के आधार पर हमारी जानकारी में ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं आया जिससे यह प्रकट हो सके उपखण्ड (1) के नियम संख्या 11(ई) में प्रदत्त जैसा कि ऊपर बिन्दु संख्या (1) एवं (2) दिया गया है, में कोई महत्त्वपूर्ण गलत निर्णय सम्मिलित हो।

(5) विगत वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश एवं वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किए गए लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुरूप ही लागू पाया गया है।

जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या : 38 में उल्लिखित किया गया है कि कम्पनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है, जो आगामी वार्षिक आम सभा की बैठक में सदस्यों अनुमोदन के अधीन है। उक्त लाभांश अधिनियम की धारा 123 में जैसा लागू है, के अनुरूप ही देय है।

(6) हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच भी सम्मिलित है, कम्पनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपनी खाता पुस्तकों को बनाने हेतु जिस लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है उसमें आडिट ट्रेल को रिकार्ड करने की सुविधा है और यह पूरे समय काम करता है, सिवाय इसके कि सॉफ्टवेयर में वर्ष के सभी प्रासंगिक लेन देने दर्ज हों :

अ. एक साफ्टवेयर के सम्बन्ध में किसी भी प्रत्यक्ष डाटा परिवर्तन को लॉग करने के लिए एप्लीकेशन स्तर पर और डाटाबेस स्तर पर कुछ तालिकाओं के लिए आडिट ट्रेल सुविधा नहीं पाई गई और

ब. क्रय अभिलेख बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक सॉफ्टवेयर के सम्बन्ध में ऑडिट ट्रेल सुविधा रिकार्ड करने हेतु नहीं पाई गई।

इसके अतिरिक्त हमारे ऑडिट के दौरान उपरोक्त के अधीन, हमें उस अवधि के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर के सम्बन्ध में ऑडिट ट्रेल फीचर के साथ छेड़छाड़ का कोई उदाहरण नहीं मिला जिसके लिए ऑडिट ट्रेल फीचर काम कर रहा था।(वित्तीय विवरण के नोट सं. 41 देखें)

कम्पनी (लेखा) के नियम संख्या 3(1) 1 अप्रैल 2023 से लेखाकंन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए लेखा पुस्तकें तैयार करना जिसमें ऑडिट ट्रेल की सुविधा हो, तद्नुसार कम्पनी (ऑडिट और ऑडिटर) को नियम संख्या 11(g) 2014 वर्तमान वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2024 पर लागू नहीं है।

2. अधिनियम की धारा 143(11) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (अंकेक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) के अन्तर्गत, हमने आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में वर्णित मुद्दों का विवरण ''अनुलग्नक–ब'' में दिया गया है।

3. कम्पनी अधिनियम, 2013 के भाग IV की धारा 378ZG में निर्दिष्ट विवरण हमने ''अनुलग्नक–स'' में दिया है।

कृते एस0बी0 बिल्लीमोरिया एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(Registration No. 101496W/W100774)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 22 अगस्त, 2024

ह0/–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार
(Membership No. 87104)
(UDIN 22087104ANHIUX8847)

स्वतन्त्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक – (अ)

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट 'अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं' के अन्तर्गत पैराग्राफ 1(जी) में निर्दिष्ट)

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (i) के तहत वित्तीय प्रतिवेदनों के आन्तरिक वित्तय नियन्त्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2024 को सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के वित्तीय प्रतिवेदन के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों का उक्त तिथि को समाप्त वर्ष पर कम्पनी के वित्तीय विवरणों के साथ अंकेक्षण किया है।

आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के सन्दर्भ में प्रतिबन्धन का दायित्व

कम्पनी का प्रबन्धन कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदन मानदण्डों पर आन्तरिक नियन्त्रणों के आधार पर कम्पनी में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण स्थापित करने एवं बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है, जो कि भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशा निर्देश लेख में उल्लिखित हैं। इन दायित्वों में उचित आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की संरचना, उन्हें लागू करना तथा उन्हें बनाए रखना सम्मिलित है जो कि नियमित रूप से कुशलता पूर्वक व्यवसाय के संचालन में प्रभावी रूप से चल रहे थे जिसमें कम्पनी की नीतियों का पालन, कम्पनी की सम्पत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों एवं धोखों की रोकथाम तथा पता लगाने, लेखों की पूर्णता एवं सत्यता तथा कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचनाएं समय पर तैयार करना शामिल है।

अंकेक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व अपने अंकेक्षण के आधार पर कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के सन्दर्भ में अपनी राय प्रकट करना है। वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशा निर्देश लेख (''दिशा–निर्देश–लेख'') तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत अंकेक्षण हेतु निर्धारित मानदण्डों द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश जो कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों पर जिस सीमा तक लागू होते हैं, का हमने अंकेक्षण किया है। वे मानक तथा दिशा निर्देश चाहते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें तथा योजना बनाकर उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अंकेक्षण करें कि वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रतिपादित कर रख रखाव किया गया है और इस प्रकार के नियन्त्रणों को सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी तरीके से परिचालित किया गया है।

हमारे अंकेक्षण में वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की उचितता एवं परिचालन प्रभावशीलता के सन्दर्भ में अंकेक्षण के साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का निष्पादन करना, वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण को समझना, जोखिम का निर्धारण करना कि कोई महत्वपूर्ण कमी तो नहीं है तथा आंकलित जोखिम के

आधार पर प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण को समझना, जोखिम का निर्धारण करना कि कोई महत्वपूर्ण कमी तो नहीं है तथा आंकलित जोखिम के आधार पर परिचालनात्मक प्रभावशीलता की आन्तरिक नियन्त्रण की संरचना का विश्लेषण तथा जाँच आदि सम्मिलित हैं। चयनित प्रक्रियाएं अंकेक्षकों के निर्णयों पर निर्भर करती है, जिनमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत कथनों की जोखिम का निर्धारण सम्मिलित है, चाहे वह धोखे अथवा गलतियों से हों।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त है तथा वित्तीय प्रतिवेदनों पर कम्पनी की आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पद्धति के लिए हमारी राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों का आशय

एक कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी रचना वित्तीय प्रतिवेदनों की विश्वसनीयता के सन्दर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करने तथा सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए की गई है। कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों में वे नीतियां एवं प्रक्रिया सम्मिलित हैं जो (1) लेखा के रख रखाव से सम्बन्धित है, उपर्युक्त विवरण के साथ, व्यवहारों को सही एवं उचित तरीके से प्रतिबिम्बित करती है तथा कम्पनी की सम्पत्तियों का निपटारा करती है।(2) उचित आश्वासन प्रदान करती है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए व्यवहारों की आवश्यकतानुसार प्रविष्टि की गई है तथा कम्पनी के आय एवं व्यय प्रबन्धकों एवं निदेशकों के अधिकृत करने के अनुसार ही किए जा रहे हैं तथा (3) कम्पनी की सम्पत्तियों का अनाधिकृत रूप से हासिल करने, उपयोग करने, निपटारा करने के बारे में समय से पता लगाने या रोकने के लिए उचित आश्वासन प्रदान करें, जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय विवरणों पर पड़ता हो।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमाएं

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमाओं के कारण जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबन्धन जो नियन्त्रणों पर हावी है, गलती या धोखे से महत्वपूर्ण गलत कथन हो सकते हैं और जिनका पता नहीं लगाया जा सके। भावी अवधियों के वित्तीय प्रतिवेदन पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के किसी भी प्रकार के पूर्वानुमानों के विश्लेषण को परिस्थितियों में बदलाव या नीतियों अथवा प्रक्रिया की पालना के परिणाम को दूषित कर सकता है।

राय

हमारी राय में, हमारी उपर्युक्त जानकारी एवं दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय प्रतिवेदों पर उचित आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पद्धति है तथा इस प्रकार के वित्तीय प्रतिवेदनों पर 31 मार्च, 2024 को आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रभावी रूप से संचालित है तथा कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदनों के आन्तरिक नियन्त्रणों के मानदण्डों के आधार पर आन्तरिक नियन्त्रणों के मूलभूत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट् संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के अंकेक्षण पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप है।

कृते एस0बी0 बिल्लीमोरिया एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(Registration No. 101496W/W100774)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 22 अगस्त, 2024

ह0/–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार
(Membership No. 87104)
(UDIN 22087104ANHIUX8847)

स्वतन्त्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक – (ब)

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट – अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं के अर्न्तगत पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट)

हमारे द्वारा मांगी और कम्पनी द्वारा प्रदत्त जानकारी और स्पष्टीकरण के सन्दर्भ में और लेखा पुस्तकों और अभिलेखों को हमारे द्वारा आडिट में जाँच की गई और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी राय निम्नलिखित है :

(i) अ. (i) कम्पनी ने अचल सम्पत्तियों का विवरण, मात्रा तथा उनकी स्थितियों को दर्शाने के लिए उचित अभिलेख बना रखे है।

(ii) कम्पनी द्वारा अपनी अमूर्त सम्पत्तियों का विवरण प्रदर्शित करने वाले उचित अभिलेख तैयार किए हैं।

ब. कम्पनी के पास सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण के सत्यापन का एक कार्यक्रम है, इसलिए प्रत्येक दो वर्ष में एक बार सभी वस्तुओं को कवर किया जाता है, जो हमारी राय में कम्पनी के आकार और इसकी सम्पत्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित है। जिसमें सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन हेतु दिया गया अन्तराल हमारी राय में सही है। हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार इस प्रकार के सत्यापन में किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई है।

स. कम्पनी के पास किसी भी प्रकार की कोई अचल सम्पत्ति नहीं है, अतः आदेश के खण्ड 1(सी) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

द. कम्पनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी सम्पत्ति, सयंत्र और उपकरण और अमूतर्म सम्पत्ति का पुर्नमूल्यांकन नहीं किया है।

य. बेनामी सम्पत्ति अधिनियम (निषेध) 1988 (संशोधित 2016) के क्रम में कम्पनी द्वारा 31 मार्च 2024 तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है अथवा लम्बित नहीं है।

(ii)अ. गुड्स इन ट्रांजिट और तीसरे पक्ष के पास रखे गए स्टाक को छोड़कर, प्रबन्धन द्वारा वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर भौतिक रूप से सत्यापित किया गया था, हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबन्धन द्वारा इस प्रकार की प्रक्रिया कम्पनी के आकार और उसके संचालन की प्रकृति को संज्ञान में लेते हुए उचित प्रतीत होती है। वर्ष के अन्त में गुड्स इन ट्रांजिट और तीसरे पक्ष के पास रखे स्टॉक की तुलना खाते पुस्तकों से की जाती है तो लागू किए गए इन्वेन्ट्री/वैकल्पिक प्रक्रियाओं के ऐसे भौतिक सत्यापन पर प्रत्येक श्रेणी की इन्वेन्ट्री के लिए कुल मिलाकर 10 प्रतिशत या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई है।

ब. कम्पनी को रूपये 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। वर्तमान परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के आधार पर वर्ष के दौरान समय–समय पर कम्पनी द्वारा बैंकों को प्रस्तुत किए गए त्रैमासिक रिटर्न अन आडिटेड लेखा पुस्तकों के अनुरूप पाये गये।

(iii) कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान किसी भी कम्पनियों, फर्मों, सीमित दायित्व फर्म या कम्पनी आवृत में किसी भी पक्षकार को किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया गया है। अतः क्लाज (iii) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(iv) कम्पनी ने किसी भी प्रकार का कोई ऋण, निवेश एवं गारन्टी प्रदान नहीं की है इसलिए क्लाज (iv) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(v) कम्पनी ने किसी भी प्रकार की कोई सार्वजनिक जमाएं स्वीकार नहीं की है, इसलिए क्लाज (v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(vi) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148 (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी की गतिविधियों के लिए लागत लेखा रिकार्ड के लिए निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

(vii) वैधानिक देय के सम्बन्ध में :–

अ. कम्पनी नियमित रूप से निर्विवाद तौर पर देय वैधानिक दायित्वों की राशियों जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, सेवाकर, वैट, सैस, वस्तु एवं सेवा कर तथा अन्य कोई भी कम्पनी पर लागू होने वाले महत्वपूर्ण वैधानिक दायित्वों आदि का उपयुक्त अधिकरण को नियमित भुगतान करती रही है।

गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स, भविष्य निधि, आयकर उपकर अथवा अन्य कोई वैधानिक बकाया के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 तक उनके देय होने की दिनांक से छः माह से अधिक समय के लिए कोई भी निर्विवाद राशि देय नहीं है।

ब. वस्तु एवं सेवा कर के बकाया जो विवादों के कारण 31 मार्च, 2024 तक जमा नहीं किया गया है, का विवरण निम्नलिखित है :–

विधिक नाम	बकाया की प्रकृति	पटल जहाँ विवाद लम्बित है	सम्बन्धित धनराशि की समयावधि	माँग धनराशि (लाख में)	माँग के समक्ष किए गए भुगतान की राशि (लाख में)
उत्तर प्रदेश वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 एवं केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017	वस्तु एवं सेवाकर	सहायक आयुक्त अपील	विगत वर्ष 2022–23	77.82	15.50
			वित्तीय वर्ष 2029–20	1.15	

इसमें वैधानिक हित शामिल नहीं है जो अन्तिम आदेश के अधीन है।

(viii) वर्ष के दौरान पहले से दर्ज न की गई कोई भी आय से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेनदेन नहीं पाया गया जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 के 43) के अन्तर्गत सरेन्डर अथवा उल्लिखित किया गया हो।

(ix) अ. कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता को ऋण अथवा ऋण के पुर्नभुगतान या उस पर देय ब्याज के भुगतान में किसी भी प्रकार की चूक अथवा विलम्ब नहीं किया गया है।

ब. कम्पनी को किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान अथवा किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझ कर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

स. कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी सावधि ऋण नहीं लिया गया है और वर्ष के प्रारम्भ कोई भी अप्रयुक्त ऋण नहीं है, इसलिए आदेश के भागसंख्या (ix) (स) रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

द. कम्पनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जाँच करने पर प्रथम दृष्टया, अल्पकालिक आधार पर एकत्रित की गई धनराशि का उपयोग कम्पनी द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

य. कम्पनी के पास वर्ष के दौरान कोई भी सहायक या सहयोगी अथवा संयुक्त उद्यम नहीं था और इसलिए आदेश संख्या के भाग (ix) (ई) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

र. कम्पनी के पास वर्ष के दौरान कोई भी सहायक या सहयोगी अथवा संयुक्त उद्यम नहीं था और इसलिए आदेश संख्या के भाग (ix) (एफ) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(x) अ. कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान प्रारंभिक एवं पब्लिक ऑफर अथवा केवल पब्लिक ऑफर (ऋण सहित) के माध्यम से धन नहीं एकत्रित किया है अतः आदेश के भाग संख्या (x)(ए) रिपोर्टिं लागू नहीं होती है।

ब. वर्ष दौरान कम्पनी द्वारा शेयर का कोई सार्वजनिक आवंटन अथवा निजी आवंटन पूर्ण अथवा अंशकालिक रूप में वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है। अतः आदेश के भाग संख्या (x)(बी) रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xi) अ. वर्ष के दौरान कम्पनी पर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी अथवा माल से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं पाई गई है।

ब. वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा केन्द्र सरकार के साथ कम्पनी अधिनियम 143 की उपधारा के अन्तर्गत कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) के नियम 2014 के नियम संख्या 13 के अन्तर्गत फार्म ए.डी.टी. –4 इस प्रपत्र के जारी होने की दिनांक तक नहीं की गई है।

स. जैसा कि प्रबन्धन द्वारा हमें अवगत कराया गया है कि वर्ष के दौरान इस रिपोर्ट की दिनांक तक कम्पनी को किसी प्रतिनिधि अथवा संकेत के माध्यम से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) कम्पनी किसी भी स्वरूप में निधि कम्पनी नहीं है। अत: आदेश के भाग संख्या (xii) रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xiii) कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 188 का अनुपालन किया है। जहां भी लागू हो, सम्बन्धित पक्षकारों के सभी व्यवहारों तथा सम्बन्धित पक्षकारों के सम्पूर्ण विवरणों का स्पष्टीकरण वित्तीय विवरणों आदि में किया गया है जो कि लागू होने वाले मानकों के अनुसार आवश्यक हैं। कम्पनी एक निजी कम्पनी है इसलिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है।

(xiv) अ. हमारी राय में कम्पनी के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

ब. हमारे द्वारा कम्पनी की अप्रैल 23 सितम्बर 2023 की अवधि को कवर करने वाली आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 की अवधि को कवर करने वाली बेलेंसशीट की तारीख के बाद जारी की गई आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट को भी अमल में लाया गया।

(xv) वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर नगद लेनदेन नहीं किया गया है और इसलिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं होते है।

(xvi) कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 (आईए) के अन्तर्गत पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आदेश के खण्ड (xvi)(ए), (बी) और (सी) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग करना आवश्यक नहीं है।

कम्पनी समूह में कोई मुख्य निवेशक कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कम्पनी (भारतीय रिजर्व बैंक) के दिशा निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तद्नुसार, आदेश के खण्ड संख्या 3 (xvi) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xvii) हमारे ऑडिट में कवर किए गए वित्तीय वर्ष में कम्पनी को 131.59 लाख की नगद हानि हुई है जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में किसी भी प्रकार की नगद हानि नहीं हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा कोई भी त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

(xix) वित्तीय अनुपात, ऐजिंग और वित्तीय परिसम्पत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ी अन्य जानकारी और निदेशक मण्डल और प्रबन्धन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और हमारी जांच के आधार पर धारणाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य के आधार पर हमारी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास होता है कि आडिट रिपोर्ट की दिनांक के अनुसार किसी भी प्रकार की कोई भौतिक अनिश्चितता है जो यह दर्शाता है कि कम्पनी के आर्थिक चिट्ठा में अंकित देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है जो

आर्थिक चिट्ठा की दिनांक की अवधि से एक वर्ष के भीतर देय हो जाते हैं। हांलाकि हमारा यह भी मानना है कि कम्पनी की भविष्य की व्यवहार्यता में किसी भी प्रकार का कोई आवश्वासन नहीं है। हमारी रिपोर्टिंग आडिट रिपोर्ट की दिनांक तक के तथ्यों पर आधारित है। हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आवश्वासन देते हैं कि आर्थिक चिट्ठा की तारीख से एक वर्ष के अंदर आने वाले उन सभी बकाया का भुगतान कम्पनी द्वारा कर दिया जाएगा जो कम्पनी पर बकाया हो।

(xx) कम्पनी ने सी.एस.आर. के लिए आवश्यक राशि पूरी तरह से व्यय कर दी है और इस मद में कोई भी धनराशि शेष नहीं है जिसे कम्पनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट फण्ड या उप–प्रावधानों के अनुपालन में विशेष खाते में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता हो। उक्त अधिनियम की धारा 135 की धारा (6) तदनुसार आदेश भाग संख्या (XX) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।

कृते एस0बी0 बिल्लीमोरिया एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(Registration No. 101496W/W100774)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 22 अगस्त, 2024

ह0/–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार
(Membership No. 87104)
(UDIN 22087104ANHIUX8847)

स्वतन्त्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक – (स)

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट – अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं के अर्न्तगत पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट)

1. विक्रय किए गए माल एवं सेवाओं से प्राप्त बकाया लेनदारियों की राशि का प्रकटीकरण वित्तीय आंकड़ों की नोट संख्या 17 में है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कोई भी बकाया लेनदारियां प्राप्ति हेतु संदिग्ध नहीं है।

2. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबन्धन के पास किसी भी प्रकार हस्तगत रोकड़ नहीं पाई गई है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के पास किसी भी प्रकार की निवेशीय प्रतिभूतियां नहीं हैं।

3. 31 मार्च, 2024 को सम्पत्तियां एवं दायित्वों का विवरण 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार हैं।

4. हमारी राय में एवं हमें दी गई जानकारी के अनुसार, कम्पनी ने कोई ऐसा लेन देन नहीं किया है जो कम्पनी अधिनियक 2013 के अध्याय XXIA के प्राविधानों के विपरीत है।

5. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।

6. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का कोई दान एवं अभिदान नहीं किया है।

7. हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण अतिरिक्त कोई भी अन्य प्रकरण नहीं है।

कृते एस0बी0 बिल्लीमोरिया एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(Registration No. 101496W/W100774)

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 22 अगस्त, 2024

ह0/–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार
(Membership No. 87104)
(UDIN 22087104ANHIUX8847)

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

आर्थिक चिट्ठा 31 मार्च, 2024

CIN : U01403UP2014PTC066595

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
A-	**शेयर और देयताएं**			
	1. अंश धारक कोष			
	(a) अंश पूँजी	3	2,790.00	2,856.17
	(b) प्रारक्षित निधि और अधिशेष	4	7,194.90	5,660.54
			9,984.90	8,516.71
	2. अंश पूँजी के आवेदन लम्बित आवंटन	39	27.18	50.98
	3. अस्थिगत अनुदान	5	725.19	501.24
	4. अंतरल देयताएं			
	(a) दीर्घकालीन उधार	6	268.89	–
	(b) अन्य दीर्घकालीन देनदारियाँ	7	798.38	754.20
	(C) दीर्घकालीन प्रावधान	8	–	14.07
			1,067.27	768.27
	5. तरल देयताएं			
	(a) लघु अवधि की उधारी	9	10,119.65	9,480.73
	(b) व्यापारिक देनदार	10		
	(i) लघु एवं सूक्ष्म संस्थानों की कुल बकाया राशि		92.88	108.48
	(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		3,238.84	3,596.85
	(C) अन्य तरल देयताएं	11	1,494.50	396.40
	(d) लघु अवधि प्रावधान	12	89.16	64.20
			15,035.03	13,646.66
			26,839.57	23,483.86
B-	**आस्तियां**			
	1. अंतरल आस्तियां			
	(a) अचल आस्तियां			
	(i) मूर्त आस्तियां	13(a)	1,551.41	1,101.16
	(ii) अमूर्त संपत्ति	13(b)	–	–
	(b) आभासी कर आस्तियां (कुल)	14	164.84	177.79
	(C) दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम	15	77.05	310.98
			1,793.30	1,589.93
	2. तरल आस्तियां			
	(a) रहतिया	16	1,001.93	1,180.22
	(b) व्यापारिक देनदार	17	9,899.36	10,462.96
	(c) रोकड़ और रोकड़ समरूप	18	13,508.12	9,760.47
	(d) लघु अवधि ऋण और अग्रिम	19	132.11	145.35
	(e) अन्य चल आस्तियां	20	504.75	344.92
			25,046.27	21,893.92
	कुल योग		26,839.57	23,483.85

देखें, संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते एस.वी.बिल्लीमोरिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 22 अगस्त, 2024

कृते निदेशक मण्डल

ह./–
रजनीश कुमार
निदेशक
DIN : 07894245

ह./–
बसन्त चौधरी
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
DIN : 08277954

ह./–
वरुण वर्मा
कम्पनी सचिव
Membership No.: F10508

स्थान : आगरा
दिनांक : 22 अगस्त, 2024

ह./–
सुदीप कुमार भौमिक
सहायक महाप्रबन्धक वित्त

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

लाभ हानि खाता समाप्ति वर्ष 31 मार्च, 2024

CIN : U01403UP2014PTC066595

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
1.	व्यावसायिक गतिविधियों से आय	21	105,716.50	81,436.03
2.	अन्य आय	22	787.72	520.71
3.	**कुल आय (1+2)**		106,504.22	81,956.74
4.	**खर्चे**			
	(a) व्यावसायिक स्टॉक की खरीद	23	96,926.00	75,937.02
	(b) तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में बदलाव	24	182.78	(256.15)
	(c) कर्मचारियों से सम्बन्धित खर्चे	25	1,117.37	1,086.69
	(d) व्यावसायिक लागत	26	586.34	421.76
	(e) ह्रास एवं ऋणमुक्त खर्च	13	214.36	292.22
	(f) अन्य खर्चे	27	5,267.13	4,899.01
	कुल खर्चे		104,293.98	82,380.55
5.	**कर से पूर्व आय (3–4)**		2,210.24	(423.81)
6.	**कर सम्बन्धी खर्चे**			
	(a) वर्तमान कर		463.00	–
	(इ) पहले के वर्षों से सम्बन्धित प्रावधान		–	(11.48)
	(ब) स्थगित कर (कुल)		12.94	(11.70)
	कुल खर्चे		475.94	(23.18)
7.	**सम्बन्धित वर्ष का लाभ (5–6)**		1,734.30	(400.63)
8.	**प्रति अंश आय**	32		
	(Nominal value Rs. 100 per share)			
	(a) बेसिक		61.92	(14.93)
	(b) डायलूटेड		61.76	(14.85)

देखें, संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 22 अगस्त, 2024

कृते निदेशक मण्डल

ह./–
रजनीश कुमार
निदेशक
DIN : 07894245

ह./–
बसन्त चौधरी
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
DIN : 08277954

ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव
Membership No.: F10508

स्थान : आगरा
दिनांक : 22 अगस्त, 2024

ह./–
सुदीप कुमार भौमिक
सहायक महाप्रबन्धक वित्त

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

रोकड़ प्रवाह खाता समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2024

CIN : U01403UP2014PTC066595

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
A.	**व्यावसायिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह**		
	कर से पूर्व लाभ	2,210.24	(423.81)
	समायोजन		
	ब्याज से आय	(602.82)	(463.72)
	व्यावसायिक लागत	586.34	421.76
	कर्मचारी हित खर्चे		
	ह्रास खर्च	(85.32)	(7.11)
	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	214.36	292.22
	कार्यशील पूँजी में बदलाव से पूर्व व्यावसायिक लाभ	2,322.80	(180.66)
	कार्यशील पूँजी में समायोजन		
	रहतिये मे वृद्धि	178.30	(306.29)
	व्यावसायिक लेनदारों में वृद्धि	563.60	1,247.36
	दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम मे वृद्धि	(19.15)	(7.02)
	लघु अवधि ऋण और अग्रिम मे वृद्धि	13.24	(18.77)
	व्यावसायिक देनदारों मे वृद्धि	44.18	(10.27)
	अन्य चल देयताओं में वृद्धि	(27.35)	(16.18)
	देय व्यापार में वृद्धि	(288.29)	947.03
	व्यवसाय से रोकड़ प्राप्ति	1,026.57	(12.87)
	कुल आयकर भुगतान	3,813.90	1,642.33
	व्यवसाय गतिविधियों से कुल रोकड़ प्राप्ति	(181.56)	(247.18)
		3,632.34	1,395.15
B.	**निवेश से रोकड़ प्राप्ति**		
	बैंक शेष, रोकड़ नहीं है	(3,019.45)	809.34
	अचल आस्तियों की खरीद	(360.34)	(10.22)
	ब्याज प्राप्ति	443.00	476.90
	निवेश में व्यय कुल रोकड़	(2,936.79)	1,276.02
C.	**वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्राप्ति**		
	समता अंश पूँजी जारी करने से प्राप्त राशि	(117.15)	(148.62)
	शेयर आवेदन के पैसे प्राप्त	27.18	50.98
	लम्बी अवधि के उधार से प्राप्त आय	268.89	—
	नेट वृद्धि/(कमी) कार्यशील पूँजी उधारी में	638.92	7.43
	लाभांश कर सहित भुगतान	(208.76)	(211.82)
	वित्तीय लागत का भुगतान	(576.43)	(432.75)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्राप्ति	32.65	(734.78)
	Net increase/(decrease) in Cash and cash equivalents (A+B+C)	728.20	1,936.39
	वर्ष के शुरू में रोकड़	2,231.62	295.23
	वर्ष के समाप्ति में रोकड़	2,959.82	2,231.62
	रोकड़ में सम्मिलित		
	चालू खाता	1,254.97	2,231.62
	बचत खाता	1,704.85	—
	कुल रोकड़ प्रवाह	2,959.82	2,231.62
	जोड़ें: नकद और नकद समतुल्य रूप से नहीं माना बैंक बैलेंस	9.27	18.10
	बैंक बैलेंस को नकद और नकद समकक्ष के रूप में नहीं माना जाता है।	10,539.03	7,510.75
	नकद और नकद समकक्ष आर्थिक चिट्ठा के अनुसार (18 नोट)	13,508.12	9,760.47

बैंक में बचत खाते की धनराशि का उपयोग केवल जीका परियोजना के लिए किया जा सकता है।

देखें, संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 22 अगस्त, 2024

कृते निदेशक मण्डल

ह./–
रजनीश कुमार
निदेशक
DIN : 07894245

ह./–
वसन्त चौधरी
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
DIN : 08277954

ह./–
वरुण वर्मा
कम्पनी सचिव
Membership No.: F10508

स्थान : आगरा
दिनांक : 22 अगस्त, 2024

ह./–
सुदीप कुमार भौमिक
सहायक महाप्रबन्धक वित्त

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग है।

1. कम्पनी के बारे में

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के अंतर्गत दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 को गठित है।

कम्पनी उत्तर प्रदेश के गाँवों के दुग्ध उत्पादकों से दुग्ध संकलन केन्द्रों के माध्यम से दुग्ध क्रय कर कच्चे दूध का विक्रय मदर डेरी फ्रूट एण्ड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड को करती है। कम्पनी पौली पैक दूध (PPM), घी, पशु आहार एवं वीर्य का क्रय एवं विक्रय करती है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां निम्न प्रकार हैं :

(a) लेखांकन का आधार

कंपनी अधिनियम 2013 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करने के लिए कंपनी का वित्तीय विवरण भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार तैयार किए गए हैं। एम.सी.ए. ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXIA के तहत निर्माता कंपनी नियम 2021 के रूप में जानी जाने वाली निर्माता कंपनियों पर लागू है। वित्तीय विवरण तैयार किये जाते है। वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियाँ पिछले वर्ष में अपनाई गई नीतियों के अनुरूप है।

(b) अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधकों द्वारा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धातों के अनुसार अनुमानों तथा धारणाओं का प्रयोग सम्पत्तियों एवं दायित्वों की राशियों तथा वर्ष के दौरान होने वाले आय एवं व्ययों की दर्शायी गई राशियों के लिए किया गया है। कंपनी प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रयोग किए गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं उचित हैं। इन अनुमानों के कारण भावी परिणामों में अंतर हो सकता है एवं वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के अंतर को, परिणामों की जानकारी प्राप्त होने की अवधि में निर्धारित किया जाता है।

(c) रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य (रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से)

रोकड़ में हस्तगत रोकड़ तथा बैंक में शामिल हैं। रोकड़ तुल्य अल्पकालीन शेष होते हैं (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 माह या इससे कम लेने की तिथि से) जो नकदी निवेश के समान होते हैं तथा जिन्हें किसी भी समय रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है तथा जिनमें मूल्य परिवर्तन की जोखिम का नगण्य प्रभाव होता है।

(d) रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह अप्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा बनाया गया हैं। जिसमें लाभ–हानि खाते को अप्रत्याशित खर्चों, कर तथा अरोकड़ प्रकृति के खर्चे, भविष्य में प्राप्त होने वाली राशियों, भुगतान अथवा पूर्व में प्राप्त किये गए राशियों एवं भुगतान को समायोजित करते हुए बनाया जाता है। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर रोकड़ प्रवाह को कम्पनी की परिचालन; विनियोजन एवं वित्तीय क्रियाओं के आधार पर अलग–अलग किया जाता है।

(e) आय का निर्धारण

ऐसी आयों को विक्रय से आय माना जाता हैं जिसमें शुद्ध प्राप्ति, व्यापारिक बट्टे महत्वपूर्ण जोखिम के हस्तांतरण तथा क्रेता से स्वामित्व का प्रतिफल जो कि ग्राहकों को माल की सुपुर्दगी के समय होता हो, को विक्रय के रूप में जाना जाता है।

(f) अन्य आय

जमा पर ब्याज अर्जित आधार पर मानी जाती है।

(g) अचल संपत्तियां (मूर्त/अमूर्त)

अचल सम्पत्तियों को उनकी लागत में से संचित ह्रॉस/परिशोधन तथा यदि कोई क्षति है तो उसको कम करने के उपरांत लिया जाता है। अचल सम्पत्तियों की लागत का निर्धारण व्यापारिक बट्टा तथा छूट के बाद के क्रय मूल्य में कोई भी लगने वाला आयात तथा अन्य कर (ऐसे करों को छोड़कर जो कर अधिकारियों से पुनः वापस लिया जाना है), किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष खर्चे जो उस संपत्ति को वांछित प्रयोग में लेने के लिए किये जाने आवश्यक हैं, ऐसी सम्पत्ति पर प्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी भी प्रकार के आकस्मिक खर्चे तथा संपत्ति क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर उसे वांछित प्रयोग हेतु चालू हो जाने तक की तिथि के ब्याज को शामिल किया जाता है। अचल सम्पत्तियों पर क्रय करने के उपरांत किये गए किसी भी प्रकार के अन्य खर्चे जिनसे सम्पत्ति की भावी निष्पादकता में पूर्व की निष्पादकता की तुलना में वृद्धि होती है का पंजीकरण किया जाता है।

(h) प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य

संपत्तियां जिनको अभी प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है उनको लागत पर दर्शाया गया है जिसमें सीधी लागत और उससे सम्बन्धित खर्च जिसमें आकस्मिक खर्चे और आरोप्य ब्याज की राशि शामिल है।

(i) ह्रॉस एवं ऋणमुक्ति

ह्रास का निर्धारण सीधी रेखा पद्धति संपत्ति के प्रयोग जीवन के आधार पर होता है जो कि टेक्निकल सलाह, संपत्ति की प्रकृति, सम्पत्ति का अनुमानित उपयोग, संपत्ति को चलाने की दशाएं, पिछले प्रतिस्थापन, अनुमानित तकनीकी परिवर्तन, निर्माण वारंटी और रखरखाव सेवा इत्यादि पर निर्भर करता है।

ह्रास का निर्धारण करने के लिए संपत्ति का उपयोगी जीवन निम्न प्रकार निर्धारित करते हैं,

विवरण	उपयोगी वर्ष	जिन्दगी
प्लांट एवं उपकरण	10	–
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	10	–
कम्प्यूटर्स एवं सॉफ्टवेयर	03	–
कार्यालय उपकरण	05	–

मूल्य–ह्रास का आंकलन वृद्धि की तिथि से अनुपातिक आधार पर किया जाता है।

5000 रूपये या इससे कम मूल्य के एकल सम्पत्तियों को उनके क्रय के वर्ष में ही मूल्य ह्रासित किया जाता है।

(j) रहतिया

लागत का निर्धारण भारित औसत विधि के आधार पर किया जाता है। लागत में वे सभी खर्चे सम्मिलित हैं जो उनके वर्तमान स्थान तथा स्थिति में लाने हेतु किये गए हैं। तैयार माल में ऊपरी खर्चों का उचित अनुपात सम्मिलित है।

(k) अनुदान

सरकारी अनुदान एवं रियायत तब मानी जाती हैं जब उसका कोई उचित आश्वासन हो कि कम्पनी उसके साथ संलग्न शर्तों का पालन करेगी तथा अनुदान/रियायत प्राप्त करेगी। ऐसे सरकारी अनुदान जो मूल्य ह्रास सम्बन्धित सम्पत्तियों पर प्रदान किये जाते हैं उसे अस्थगित अनुदान की तरह माना जाता हैं तथा उसे सम्पत्ति के उपयोग अवधि के आधार पर एक सुनियोजित एवं तर्कसंगत तरीके से लाभ–हानि विवरण में

दर्शाया जाता है, ऐसे अनुदान से क्रय की गई सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास को स्थगित अनुदान से समायोजित किया जाता है और मूल्य ह्रास राशि को कम करते हुये लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है।

आयगत सरकारी अनुदान एवं रियायत को एक ऐसी आवश्यक अवधि के दौरान एक सुनियोजित तरीके से आय के रूप में माना जाता है जिससे ऐसी लागत वसूल हो जाये, जिसे पूरा करना इसका उद्देश्य था तथा सम्बन्धित खर्चों की सूचना देते समय इस आय को खर्चों में से घटा दिया जाता है।

(l) कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभों में भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्युटी तथा अवकाश का प्रतिफल हेतु प्रावधान शामिल है।

(a) निर्धारित योगदान योजनाएं

भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कम्पनी के योगदान को निर्धारित अंशदान योजना माना जाता है। योगदान की राशियों को ध्यान में रखते हुए लाभ–हानि खाते में दर्शाया गया है।

(b) निर्धारित लाभ योजनाएं

ग्रेच्युटी को निर्धारित लाभ योजना के तहत माना गया है। ग्रेच्युटी को आर्थिक चिट्ठे की तिथि को किये गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार लिया गया है। प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार दायित्वों में बढ़ोत्तरी को बीमांकिक मूल्यांक के आधार पर प्रतिवेदन की तिथि को लाभ हानि खाते में दर्शाया जाता है। बीमांकिक लाभों तथा हानियों को लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है।

(c) अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों के अल्पकालीन अदत्त लाभों की राशियों को उन कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के एवज में, उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष में उनके द्वारा सेवाएं दी गयी हैं। इन लाभों में परफॉरमेंस इन्सेन्टिव्स और अनुपस्थिति क्षतिपूर्ति शामिल हैं जो पिछले 12 माह में कर्मचारियों द्वारा दी गयी सेवाओं से सम्बन्धित है।

(d) दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

ऐसी प्रतिपूर्ति अनुपस्तिथियां, जो कर्मचारी द्वारा सम्बन्धित सेवा प्रदान करने की अवधि के समापन के 12

माह की अवधि में होने की अपेक्षा नहीं थी। एक निर्धारित लाभ दायित्व के आधार पर वर्तमान मूल्य पर दायित्व का निर्धारण चिट्ठे की तिथि को बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

(m) प्रतिशेयर आय

प्रतिशेयर मूल्य का निर्धारण, कर पश्चात शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान अदत्त रहे समता अंशों की भारित औसत संख्या से भाग देकर किया जाता है। डायल्यूटेड प्रति अंश आय की गणना, कर पश्चात के लाभों को भारित औसत विधि से वर्ष के दौरान अदत्त रहे भारित औसत समता अंशों की संख्या (एंटी डाइल्यूटेड समता अंशों की संख्याओं को छोड़कर) से भाग देकर किया जाता है।

(n) आय पर कर

आयकर में चालू कर तथा स्थगित कर शामिल हैं। चालू कर, कर की वह राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय देय है।

स्थगित कर को समय के अंतराल से जाना जाता है। कर योग्य आय तथा लेखांकन आय में अंतर के कारण जो एक समयाविधि में अर्जित हुए है। जिसको उसके बाद की एक या उससे अधिक अवधि में वापस किया जा सकता है। स्थगित कर की गणना की दर तथा गणना की तिथि को लागू होने वाले कर के नियमों के आधार पर की जाती है। स्थगित कर दायित्वों की गणना सभी विभिन्न समयाविधियों के लिए की जाती है। स्थगित कर सम्पत्तियों की पहचान विभिन्न मदों की समय भिन्नता के आधार पर (गैर शोषित मूल्य ह्रास एवं आगे ले जाई गई हानियों को छोड़कर) यह मानते हुए की भविष्य में पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे इनकी वसूली की जा सकती है। इस प्रकार अगर कोई गैर शोषित मूल्य ह्रास एवं आगे ले जाई गई हानियां बचती हैं तो पर्याप्त भावी कर योग्य आय सम्पत्तियों की वसूलियों हेतु उपलब्ध रहेगी। स्थगित कर सम्पत्तियों तथा दायित्वों का समायोजन किया जाता है यदि ऐसे मद लागू होने वाले समान कर प्रावधानों के आधार पर हैं तथा कम्पनी को इस प्रकार के समायोजन को कानूनी तौर पर लागू करने का अधिकार है।

(o) ऋण की लागत

ऋण की लागत में ब्याज तथा उससे सम्बन्धित विभिन्न लागतों को शामिल किया जाता हैं। ऋण की लागत वह लागत है, जो प्रत्यक्ष रूप से किसी भी संपत्ति को प्राप्त करने अथवा बनाने में अथवा किसी अवधि विशेष के दौरान उस संपत्ति के निर्माण/विकास की गतिविधियों को पूरा करने में उसके पूंजीकरण तक लगायी जाती हैं और इस प्रकार की लागत को उस पूंजीकृत संपत्ति की लागत ही माना जाता हैं। शेष सभी ऋण की लागतों को खर्चे मानकर लाभ–हानि विवरण में उस वर्ष में दिखाया जाता है जिस वर्ष में यह खर्चा किया जाता हैं।

(p) सम्पत्तियों के क्षति से हानि

प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि को कम्पनी सम्पत्तियों के मूल्यों की समीक्षा यह निर्धारण करने के लिए करती है कि कोई ऐसा लक्षण तो प्रकट नहीं हो रहा जिससे कम्पनी की सम्पत्तियों को किसी प्रकार की कोई क्षति/हानि हुई हो। अगर ऐसा कोई लक्षण प्रकट होता है तो उस संपत्ति के वसूल किये जा सकने योग्य मूल्य का निर्धारण उसे संपत्ति को हुई क्षति के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। किसी भी संपत्ति से वसूल की जा सकने वाली राशि उस संपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य तथा प्रयोग किये गए मूल्य से अधिक है। प्रयोग की गयी संपत्ति के मूल्य का निर्धारण करने में अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह यह मानते हुए **कि** यह सम्पत्ति नियमित रहेगी तथा इसके निस्तारण से प्राप्त आय को उसके वर्तमान मूल्य में से एक पूर्व – बट्टा दर जो कि वर्तमान बाजार दर को उस समय पर धन की कीमत तथा उस संपत्ति की क्षति की वापसी को लाभ–हानि खाते में आय के रूप में माना जाता है।

(q) प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय

एक प्रावधान तब माना जाता है जब किसी पूर्व कालिक घटना के कारण वर्तमान में कोई दायित्व उत्पन्न होता है तथा यह भी सम्भावना है कि इस प्रकार के दायित्व को पूरा करने के लिए स्त्रोतों का बहिर्गमन होगा, जिसके लिए उचित अनुमान लगाये जा सकें। प्रावधानों (कर्मचारियों के लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्यों पर भुनाया नहीं जाता है, तथा आर्थिक चिट्ठा बनाने की तिथि को इस प्रकार के दायित्वों का निर्धारण सर्वश्रेष्ठ पैमानों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि इनकी समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वश्रेष्ठ अनुमानों को दर्शाने हेतु समायोजित किया जाता है। आकस्मिक सम्पत्तियों को वित्तीय विवरण में दर्शाया नहीं जाता है। आकस्मिक दायित्वों को नोट लगाकर दर्शाया जाता है।

(r) लीज

कोई भी ऐसी लीज व्यवस्था जिसमें जोखिम तथा प्रतिफल की घटनाएं उस संपत्ति के स्वामित्व में निहित होती हैं, तो ऐसे लीज को संचालनात्मक लीज के रूप में जाना जाता है। संचालन लीज के अंतर्गत लीज किराये को लाभ–हानि खाते के विवरण अंतर्गत सीधी रेखा पद्धति के आधार पर दर्शाया जाता है।

(s) महत्वपूर्ण घटनाएँ

आर्थिक चिट्ठे की तिथि के बाद होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को जानकारी में लाया जाता है।

(t) संचालन चक्र

कम्पनी के उत्पादों एवं क्रियाओं की प्रकृति तथा सम्पत्तियों के क्रय एवं उनकी रोकड़ अथवा रोकड़ तुल्य के रूप में वसूली के आधार पर कम्पनी ने अपने संचालन चक्र की अवधि इसकी सम्पत्तियों तथा दायित्वों के चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 माह रखी है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 3 : अंश पूँजी

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति अंशों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को स्थिति अंशों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
(a).	**अधिकृत अंश पूंजी** प्रति समता अंश राशि रू. 100/–	45.00	4,500.00	45.00	4,500.00
(b)	**जारी की गयी, सदस्यों द्वारा ली गयी और पूर्ण प्रदत्त अंश पूँजी** प्रति समता अंश राशि रू. 100/–	27.90	2,790.00	28.56	2,856.17

नीचे दिये गये नोट संख्या (i) से (v) देखें :–

नोट्स :–

(i) **अंशों से संबद्ध अधिकार, वरीयता तथा प्रतिबंध**

कम्पनी ने एक श्रेणी के रू. 100/– अंकित मूल्य वाले समता अंश जारी किये है। प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार है। कम्पनी के अन्तर्नियमों के अनुसार प्रत्येक सदस्य सीमित प्रतिफल तथा बोनस का अधिकारी है।

(ii) **वर्ष के प्रारम्भ, समापन पर समता अंशों, संख्याओं तथा अदत्त राशियों का मिलान :**

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति अंशों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को स्थिति अंशों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
	वर्ष/अवधि की शुरूआत के बकाया अंश	28.56	2,856.16	29.79	2,979.37
	वर्ष के दौरान जारी किये गये अंश	6.65	664.57	3.88	387.89
	वर्ष के दौरान निरस्त एवं समर्पण अंश	(7.31)	(730.73)	(5.11)	(511.09)
	वर्ष के समापन पर अदत्त अंश	27.90	2,790.00	28.56	2,856.17

(iii) वित्तीय वर्ष के ठीक पहले के 5 वर्ष के दौरान नकद या बोनस शेयरों के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के लिये कोई शेयर जारी नहीं किया गया है।

(iv) कम्पनी का पंजीयन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत् एक उत्पादक कम्पनी के रूप में हुआ है तथा कम्पनी एक्ट 2013 के अनुसार किसी भी सदस्य के पास 5% से ज्यादा अंश पूंजी नहीं है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

(v) प्रमोटरों द्वारा रखे गये शेयरों का विवरण (राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	प्रमोटरों का नाम	31 मार्च 2024		31 मार्च 2023		
		शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	परिवर्तन
1	दिग्विजय सिंह	150.00	0.005%	150.00	0.005%	0.000%
2	महेश चन्द्र	–	0.000%	80.00	0.003%	–0.269%
3	चन्द्रपाल सिंह	60.00	0.002%	60.00	0.002%	0.000%
4	मुरारीलाल	127.00	0.004%	127.00	0.004%	0.000%
5	प्रवीन कुमार	60.00	0.002%	60.00	0.002%	0.000%
6	मनोहर लाल	30.00	0.001%	30.00	0.001%	0.000%
7	विनीता दुबे	160.00	0.005%	160.00	0.005%	0.000%
8	भगवान सहाय	74.00	0.002%	74.00	0.002%	0.000%
9	चन्द्रभान सिंह	86.00	0.003%	86.00	0.003%	0.000%
10	नेत्रपाल सिंह	–	0.000%	117.00	0.004%	–0.393%

नोट : महेशचन्द्र 27 मार्च, 2024 और नेत्रपाल 12 मई, 2023 से कंपनी के सदस्य नहीं रहे है।

Note 4 : संचय एवं अधिशेष

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
(a).	**सामान्य संचय**		
	प्रारम्भिक रहतिया	6,073.78	6,073.78
	जोड़ें लाभ हानि खातों के अधिशेष से हस्तान्तरित	1,511.10	–
	अंतिम शेष	7,584.88	6,073.78
(b)	**लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष**		
	प्रारम्भिक शेष	(413.24)	195.93
	अवधि का लाभ	1,734.30	(400.63)
	घटाएं		
	(i) सदस्यों को प्रस्तावित प्रतिफल (रू. 7 प्रति अंश) वर्ष 2023–24 और (रू. 7 प्रति अंश) वर्ष 2022–23	199.94	208.54
	(ii) सामान्य संचय में अंतरित	–	–
	(iii) सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया है।	1,511.10	–
	अंतिम शेष	(389.98)	(413.24)
	योग (a+b)	7,194.90	5,660.54

Note 5 : आस्थगित अनुदान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
	प्रारम्भिक रहतिया	501.24	626.85
	जोड़ें वर्ष के दौरान उपयोग किया गया पूंजीगत अनुदान (नोट : 33 देखें)	418.82	–
	घटाये : मूल्यह्रास की संपति से सम्बन्धित पूँजी अनुदान से प्राप्त कर लिया (नोट : 13 देखें)	194.87	125.61
	अन्तिम रहतिया	725.19	501.24

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं। (राशि ₹ लाख में)

Note 6 : दीर्घकालीन ऋण

सुरक्षित

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
(a).	जीका परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से सावधि ऋण	895.70	–
	घटायें : दीर्घकालीन ऋण से प्राप्त ऋण	626.81	–
		268.89	–

नोट : (i) एन.डी.डी.बी. से सावधि ऋण, कम्पनी की वर्तमान और भविष्य की चल सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है, जो कम्पनी के बैंकरों के पक्ष में लगाये गये और/अथवा बनाये जाने वाले पूर्व शुल्कों के अधीन है।

(ii) दीर्घकालीन ऋण की चुनौती की शर्तें इस प्रकार है –

(अ) जीका परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा सावधि ऋण रु. 1478.16 लाख स्वीकृत किये गये है। इसमें से वित्तीय वर्ष 2023–24 में से 31.03.2024 तक रू. 895.70 लाख प्राप्त हो गये है। ऋण पर प्रतिवर्ष 1.5% की दर से ब्याज देना होगा। ऋण का भुगतान की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के साथ 10 वर्ष की अवधि के भीतर 96 मासिक किस्तों में चुकाना है। मूलधन एवं ब्याज का पूर्व भुगतान मासिक आधार पर किया जाना है। ऋण स्वीकृत पत्र में निर्दिष्ट शर्तों के आधार पर कम्पनी ने रू. 626.81 लाख का अल्प अवधि के लिए ऋण लिया है।

Note 7 : अन्य दीर्घकालीन देयतायें

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
(a).	व्यापार/सुरक्षा जमा प्राप्त	798.38	754.20
		798.38	754.20

Note 8 : दीर्घकालीन के लिए प्रावधान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
(a)	**कर्मचारियों के लाभ प्रावधान**	–	14.07
	(i) **क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के लिए (कुल अवकाश नगदीकरण निधि रू. 212.21 लाख) विगत वर्ष 197.09 लाख रू.**	–	14.07

Note 9 : लघु अवधि को उधारी

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
(a).	असुरक्षित (बिल छूट की सुविधा नोट 01 देखें)	9,492.84	9,480.73
	बैकों के अलावा दीर्घकालीन ऋण		
	सुरक्षित		
	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से सावधि ऋण नोट संख्या 6(ii) (a) देखें	626.81	–
		10,119.65	9,480.73

*कंपनी बिल डिस्काउण्टिंग के अन्तर्गत बिल जारी करने की दिनांक से 90 दिनों की अवधि हेतु पात्र है। ब्याज की दरें 6.5% प्रति वर्ष (विगत वर्ष के रेपो रेट 5.31%)

Note 10 : व्यावसायिक देनदारियां

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
(a).	लघु एवं सूक्ष्म संस्थानों की कुल बकाया राशि (See Note 36)	92.88	108.48
(b).	सूक्ष्म और लघु उद्योगों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	3,238.84	3,596.85
		3,331.72	3,705.33

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note No. 10.1 : 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार देय एजिंग की सूची :– (राशि ₹ लाख में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल योग
एम.एस.एम.ई.	92.88	–	–	–	92.88
अन्य	3,215.40	2.30	3.27	17.87	3,238.84
विवादित देय राशि एम.एस.एम.ई.	–	–	–	–	–
विवादित देय राशि अन्य	–	–	–	–	–
कुल योग	**3,308.28**	**2.30**	**3.27**	**17.87**	**3,331.72**

Note No. 10.2 : 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार देय एजिंग की सूची।

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल योग
एम.एस.एम.ई.	108.48	–	–	–	108.48
अन्य	3,589.86	1.63	1.55	3.81	3,596.85
विवादित देय राशि एम.एस.एम.ई.	–	–	–	–	–
विवादित देय राशि अन्य	–	–	–	–	–
कुल योग	**3,698.34**	**1.63**	**1.55**	**3.81**	**3,705.33**

Note 11 : अन्य चालू दायित्व

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
(a).	अर्जित ब्याज लेकिन उधारी पर देय नही	59.01	58.99
(b)	गैर दावे/गैर भुगतान लाभांश	9.27	18.10
(c)	वैधानिक देय	57.50	57.54
(d)	सम्पत्ति, सयन्त्र एवं उपकरण की खरीद पर देय	80.34	–
(e)	प्राप्त अनुदान (उपयोग का शुद्ध) नोट : 33 देखें	1,078.04	–
(f)	व्यापार/सुरक्षा जमा	176.16	208.61
(g)	ग्राहकों से अग्रिम प्राप्ति	34.18	53.16
		1,494.50	396.40

Note 12 : अल्पकालीन प्रावधान

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
(a).	कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान		
	(i) प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों हेतु	50.93	64.20
	(ii) आयकर के लिए प्रावधान (अग्रिम कर का शुद्ध)	38.23	–
		89.16	64.20

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 14 : स्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
(i).	उन मदों का कर प्रभाव जो स्थगित कर सम्पत्तियों का भाग हैं		
	a. प्रतिपूर्ति/ग्रेच्युटी अनुपस्थितियों हेतु प्रावधान	13.00	20.00
	b. खाता पुस्तकों एवं सम्पत्ति, प्लान्ट उपकरणों पर कर के मध्य अन्तर	151.84	156.59
	c. संदिग्ध डेबिट के लिए प्रावधान	–	1.20
		164.84	177.79
	शुद्ध स्थगित कर संपत्ति	164.84	177.79

Note 15 : दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
	असुरक्षित एवं उचित माने गये		
(a)	जमा सुरक्षा राशि	40.24	18.72
(b)	जमा प्राप्तियाँ	18.57	17.57
(c)	एडवांस टैक्स (स्त्रोत पर कर कटौती सहित)	15.83	268.91
(d)	ग्रेच्यूटी (शुद्ध ग्रेच्यूटी फण्ड रूपये 179.01 लाख, विात्तिय वर्ष रूपये 167.77 लाख)	2.41	5.78
		77.05	310.98

Note 16 : स्टॉक

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
	(स्टॉक लागत एवं वसूली मूल्य जो कम हो उस पर)		
(a)	स्टॉक इन ट्रेड		
	(i) कच्चा दूध	336.28	354.27
	(ii) पारगमन में कच्चा दूध	206.44	290.24
	(iii) अन्य व्यापारिक सामग्री	191.71	272.70
	(iv) भण्डारण और पुर्जे	267.50	263.01
		1,001.93	1,180.22

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 17 : व्यवसायिक लेनदारियां

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
1.	**सुरक्षित एवं उचित माने गए**		
(a)	देय तिथि से 6 माह से कम अवधि के लिए बकाया अच्छा माना जाता है संदिग्ध माना जाता है		
	(i) सुरक्षित माल	0.01	0.01
	(ii) संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	–	4.75
		0.01	4.76
	लेनदारों के लिए प्रावधान	–	4.75
		0.01	0.01
(b)	अन्य		
	(i) सुरक्षित माल	10.29	11.76
	(ii) संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	9,889.06	10,451.19
		9,899.35	10,462.95
		9,899.36	10,462.96

Note 17.1 : 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार एजिंग की सूची –

	विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक	कुल योग
(i)	निर्विवाद व्यापार से प्राप्तियां						
	(i) माल पर विचार करना	9,899.35	–	–	0.01	–	9,899.36
	(ii) संदिग्ध माल पर विचार	–	–	–	–	–	–
(ii)	विवादित व्यापार से प्राप्तियाँ						
	(i) माल पर विचार करना	–	–	–	–	–	–
	(ii) संदिग्ध माल पर विचार	–	–	–	–	–	–
	कुल योग	9,899.35	–	–	0.01	–	9,899.36

Note 17.2 : 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार एजिंग की सूची –

	विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक	कुल योग
(i)	निर्विवाद व्यापार से प्राप्तियां						
	(i) माल पर विचार करना	10,462.95	0.01	–	–	–	10,462.96
	(ii) संदिग्ध माल पर विचार	–	–	–	–	4.75	4.75
(i)	विवादित व्यापार से प्राप्तियाँ						
	(i) माल पर विचार करना	–	–	–	–	–	–
	(ii) संदिग्ध माल पर विचार	–	–	–	–	–	–
		10,462.95	0.01	–	–	4.75	10,467.71
	संदिग्ध ऋणों के लिए कम प्रावधान	–	–	–	–	4.75	4.75
	कुल योग	10,462.95	0.01	–	–	–	10,462.96

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 18: रोकड़ तथा रोकड़ समान

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
(a).	रोकड़ तथा रोकड़ समान		
	(i) बैंक शेष		
	a) चालू खाते में	1,254.97	2,231.62
	b) बचत खाते में	1,704.85	–
	रोकड़ तथा रोकड़ समान, रोकड़ प्रवाह विवरण AS-3 के अनुसार	2,959.82	2,231.62
(b).	अन्य बैंक शेष		
	(i) बैंक में जमा, वास्तविक परिपक्वता तिथि से 3 माह से कम	3,139.82	1,468.50
	बैंक में जमा, वास्तविक परिपक्वता तिथि से 3 माह से अधिक एवं 12 माह से कम	7,399.21	6,042.25
	(ii) निर्धारित खाते में	9.27	18.10
	अवैतनिक लाभांश खातों में	13,508.12	9,760.47

Note 19 : अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
	(असुरक्षित एवं उचित माने गये)		
(a)	विक्रेताओं को अग्रिम	76.43	119.96
(b)	पूर्वदत्त व्यय	55.68	25.39
		132.11	145.35

Note 20 : अन्य तरल आस्तियां

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
	(असुरक्षित एवं उचित माने गए)		
(a)	**अर्जित ब्याज** किया गया लेकिन बैंक में जमा नहीं	504.75	344.92
		504.75	344.92

Note 21 : व्यवसाय से आय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
(a).	उत्पादों की बिक्री (नोट (i) देखें)	105,716.50	81,436.03
		105,716.50	81,436.03

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note :

विक्रय किये गए उत्पाद

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
(i)	**व्यावसायिक माल**		
	a) कच्चा दूध	93,456.08	69,837.47
	b) पॉलीपैक दूध	6,565.94	6,790.29
	c) दूध के उत्पाद	2,881.97	2,823.53
	d) पशु आहार	2,584.85	1,761.58
	e) वीर्य	227.66	223.16
		105,716.50	81,436.03

Note 22 : अन्य आय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
(a)	ब्याज से आय		
	(i) बैंक जमाओं पर	602.82	463.72
	(ii) अन्य जमा LIC सहित (ग्रेचुएटी और नकदीगरण)	40.34	23.33
(b)	गैर व्यावसायिक आय		
	(i) सदस्यता शुल्क	21.70	13.66
	(ii) देयता जो लिखित रूप से आवश्यक नहीं है	85.32	7.11
	(iii) बीमा से आय	–	5.00
	(iv) विविध आय	37.54	7.89
		787.72	520.71

Note 23 : कच्चे माल और पैकिंग सामग्री की खपत की लागत

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
(a)	कच्चा दूध	86,301.71	65,563.70
(b)	पॉली पैक दूध और दुग्ध उत्पाद	7,863.11	8,372.06
(c)	पशु आहार	2,295.15	1,542.66
(d)	वीर्य	149.22	134.02
(e)	पैकिंग सामग्री	316.81	324.58
		96,926.00	75,937.02

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 24 : स्टॉक इन ट्रेड में बदलाव

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
(a)	वर्ष के प्रारम्भ में रहतिया	917.21	661.06
(b)	वर्ष के समापन पर रहतिया	734.43	917.21
	रहतिया में शुद्ध वृद्धि	182.78	(256.15)

Note 25 : कर्मचारी हित सम्बन्धी खर्चे

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
(a)	वेतन एवं मजदूरी	950.42	960.79
(b)	भविष्य निधि कोष में योगदान (नोट 29 देखें)	123.01	111.94
(c)	कर्मचारी कल्याण पर व्यय	43.94	13.96
		1,117.37	1,086.69

Note 26 : वित्तीय लागत

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
(a)	उधार पर ब्याज	575.32	421.54
(b)	आयकर भुगतान में विलम्ब पर ब्याज	11.02	0.22
		586.34	421.76

Note 27 : अन्य व्यय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
(a)	स्टोर्स तथा स्पेयर्स उपभोग	232.42	201.25
(b)	पावर एवं फ्यूल	12.79	12.24
(c)	प्रसंस्करण शुल्क	365.39	406.49
(d)	किराया	178.16	171.57
(e)	दर तथा कर	1.39	1.23
(f)	मरम्मत एवं रखरखाव – मशीनरी	546.34	541.23
(g)	मरम्मत एवं रखरखाव – अन्य	156.95	174.03
(h)	विज्ञापन एवं व्यवसाय संवर्धन	125.12	158.97
(i)	अग्रिम भाड़ा एवं वितरण	2,347.44	1,835.77
(j)	बीमा व्यय	40.59	48.37
(k)	कानूनी और सलाहकारों का पारिश्रमिक	118.61	214.60

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

(राशि ₹ लाख में)

(l)	अंकेक्षकों का पारिश्रमिक	20.60	18.74
(m)	यात्रा एवं परिवहन व्यय	226.63	204.47
(n)	मजदूरी व्यय	719.64	742.82
(o)	सम्प्रेषण व्यय	53.12	56.50
(p)	कारपोरेट सोशल उत्तरदायित्व व्यय	13.75	29.52
(q)	अन्य व्यय	108.19	81.21
		5,267.13	4,899.01

Note :

(i) : अंकेक्षकों के पारिश्रमिक में निम्न शामिल है

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
(a)	वैधानिक अंकेक्षण शुल्क	14.49	13.18
(b)	कर अंकेक्षण शुल्क	2.97	2.70
(c)	उपरोक्त पर वस्तु एवं सेवा कर	3.14	2.86
		20.60	18.74

(ii) : कारपोरेट सोशल उत्तरदायित्व व्यय विवरण –

(a) वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा आवश्यक सकल धनराशि	13.75	29.52
(b) वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय		
(i) किसी सम्पत्ति का निर्माण एवं अधिग्रहण	–	–
(ii) बिन्दु संख्य 1 से पृथक उद्देश्य	13.75	29.52
	13.75	29.52
(iii) अव्ययित सी.एस.आर. खाते में हस्तांतरित राशि	–	–
(iv) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गयी अतिरिक्त धनराशि	–	–
(v) अगले वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध सेट–ऑफ	–	–
(vi) सी.एस.आर. गतिविधियों की प्रवत्ति	–	–

कम्पनी ने 13.75 लाख रू. (पिछले वर्ष 29.52 लाख रू.) की धनराशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जमा कराये है।

Note 28 : आकस्मिक देनदारियां एवं प्रतिबद्धताएं

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
(a)	आकस्मिक देनदारियां		
(i)	FSSAI के मामले 2006 के धारा संख्या 26(2)(ii)	48.90	46.90
(ii)	UPGST अधिनियम 2017 के अन्तर्गत CGST अधिनियम 2017	3.41	3.41
(b)	प्रतिबद्धताएं शेष बचे अनुबन्धों को अनुमानिद राशि को पूँजी खाते पर निष्पादित किया जायेगा और इसके लिए प्रदान नहीं किया जायेगा। (अग्रिम भुगतान रू. शून्य एवं पिछले वर्ष रू. शून्य)	1,245.91	–

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 29 : कर्मचारी लाभ योजनाएं
कर्मचारी योगदान योजनाएं

कम्पनी अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के रूप में निर्धारित लाभ योजनाएं प्रदान करती है। भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि में सभी नियमित कर्मचारी शामिल हैं। भविष्य निधि में योगदान को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा कराया जाता है। कर्मचारी तथा कंपनी दोनों की पूर्वनिर्धारित योगदान, भविष्य निधि तथा पेंशन निधि कोष में जमा कराते है। आमतौर पर यह योगदान कर्मचारी के वेतन पर एक निश्चित अनुपात में होते है।

कम्पनी ने रू0 67.38 लाख (पिछले वर्ष 78.69 लाख रू0) की राशि को लाभ हानि खाते में भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के लिये स्वीकृत किया है।

निर्धारित लाभ योजना

कम्पनी अपने कर्मचारियों को निर्धारित लाभ योजना के रूप में ग्रेच्युटी योजना (एक मुस्त राशि) प्रदान करती है। निर्धारित लाभ योजनाएं कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व प्रदान की गयी सेवाओं के वर्षों तथा प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रदान की जाती है। ग्रेच्युटी योजना में सभी नियमित कर्मचारी शामिल है। ग्रेच्युटी योजना हेतु कम्पनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित तथा आयकर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ट्रस्ट में योगदान देती है। प्रतिबद्धताओं का बीमांकिक निर्धारण वर्ष के अंत में किया जाता है। बीमांकिक राशि का निर्धारण प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट पद्धति के आधार पर किया जाता है। अनुमानित बीमांकिक राशि में परतंत्र के कारण होने वाले लाभ/हानि को लाभ/हानि खाते से वसूला जाता है।

निम्न टेबल ग्रेच्युटी तथा वित्तीय विवरणों में निर्धारित लाभ योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कोष में पोषित स्थिति को दर्शाती है।

(i): निर्धारित लाभ दायित्वों में परिवर्तन (राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
	वर्ष/अवधि की शुरूआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	161.99	144.66
	ब्याज लागत	10.57	10.04
	वर्तमान सेवा लागत	26.40	24.50
	लाभ का भुगतान	(30.14)	(4.85)
	बीमांकिक (लाभ)/दायित्व पर घाटा	7.78	(12.36)
	वर्ष के प्रारम्भ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	176.60	161.99

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
(ii)	**योजना संपत्तियों का उचित मूल्य**		
	वर्ष की शुरूआत में योजना सम्पत्ति का उचित मूल्य	167.77	143.30
	योजनागत सम्पत्ति पर संभावित लाभ	10.08	8.76
	अंशदान	1.01	13.73
	वर्ष के अंत में योजना संपत्ति की वापसी	0.15	1.98
	कुल योग	179.01	167.77

कम्पनी ने ग्रेच्युटी योजना के सम्बन्ध में कम्पनी के दायित्वों को पूरा करने के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम से पॉलिसी ली है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
(iii)	**योजना संपत्ति की वापसी**		
	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	10.08	8.76
	योजना संपत्तियों पर वास्तविक लाभ/हानि	0.15	1.98
	योजना संपत्ति पर वास्तविक प्रतिफल	10.23	10.74

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
(iv)	**आर्थिक चिट्ठे में स्वीकृत की गयी राशि**		
	निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य योजना	176.60	161.99
	सम्पत्तियों का उचित मूल्य	179.01	167.77
	आर्थिक चिट्ठे में स्वीकृत शुद्ध दायित्व/सम्पत्ति	(2.41)	(5.78)

(v) : लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
	वर्तमान सेवा लागत	26.40	24.50
	व्याज लागत	10.57	10.04
	योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(10.08)	(8.76)
	वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त शुद्ध वास्तविक लाभ/हानि	7.62	(14.35)
	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	34.51	11.44

(vi) : चिट्ठे का मिलान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
	वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध दायित्व	161.99	144.66
	शुरूआती वर्ष में योजना के आकंलन का उचित मूल्य	167.77	143.30
	वर्ष के प्रारम्भ में शुद्ध दायित्व	(5.78)	1.36
	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	34.52	11.44
	योगदान	(1.01)	(13.73)
	लाभ का भुगतान	(30.14)	(4.85)
	वर्ष के अन्त में देयता (संपत्ति)	(2.41)	(5.78)

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

(vii) : मुख्य बीमांकिक अनुमान (राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
	छूट की दर	7.24% प्रतिवर्ष	7.37% प्रतिवर्ष
	अनुमानित वेतन वृद्धि	10.00% प्रतिवर्ष	10.00% प्रतिवर्ष
	योजना सम्पत्तियों पर	5.99% प्रतिवर्ष	5.83% प्रतिवर्ष
	संघर्षण दर	10.00% प्रतिवर्ष	10.00% प्रतिवर्ष
	शेष कार्यकारी जीवन	21.18 वर्ष	20.19 वर्ष
	प्रयुक्त मृत्यु दर सारणी	IAL 2012-14 Ultimate	IAL 2012-14 Ultimate

बट्टे की दर चिट्ठे की तिथि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रचलित बाजार लाभ पर निर्भर करती है।
सामान मुख्य बीमांकिक मान्यताओं का प्रयोग प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों की गणना हेतु किया जाता है।

भविष्य में वेतन वृद्धि के अनुमान पर मुद्रा स्फीत, वरिष्ठता, पदोन्नति, वेतन वृद्धि और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

(viii) : अनुभव समायोजन

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
	निर्धारित लाभ प्रतिबद्धता का वर्तमान मूल्य	176.60	161.99	144.66	119.10	88.78
	योजना सम्पत्तियों का उचित मूल्य	179.01	167.77	143.30	115.44	86.56
	पोषित स्थिति	(2.41)	(5.78)	1.36	3.66	2.22
	प्रतिबद्धताओं पर लाभ/हानि	(7.78)	12.36	1.89	(0.03)	(11.85)
	योजना सम्पत्तियों पर लाभ/हानि	0.15	1.98	(0.63)	(2.27)	(1.63)

(ix) मुआवजे की अनुपस्थिति के लिये देयता के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली बीमांकिक धारणायें उपरोक्त 29(7) के समान है।

Note 30 : सामाजिक सुरक्षा पर कोड–2020 (कोड) रोजगार के दौरान और रोजगार के बाद कर्मचारी लाभ से सम्बन्धित, सितम्बर 2020 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुयी। कोर्ड को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, हालांकि जिस तारीख को कोड लागू होगा, उसे अधिसूचित किया जाना बाकी है। जब कोड और नियमों को अधिसूचित किया जायेगा तो कम्पनी प्रभाव का आंकलन करेगी। जब कोड और नियम प्रभावी हो जायेंगे तो उस अवधि में किसी भी सम्बन्धित प्रभाव को लेखांकित करेगी।

Note 31 : लीज व्यवस्था

कंपनी ने अपने कार्यालय परिसर के लिए परिचालन पट्टे की व्यवस्था में प्रवेश किया है। पट्टा 9 साल की अवधि के लिए 4 साल की गैर रद्दीकरण अवधि पर है। पट्टा समझौता हर 3 साल के बाद 15% की वृद्धि के लिए मान्य है। पट्टे के खर्च रू. 171.52 लाख (पिछले वर्ष रू. 171.52 लाख जो कि लाभ और हानि चिट्ठे में वर्णित है।)

भविष्य में न्यूनतम पट्टे का भुगतान	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
एक वर्ष बाद देय नहीं	2.84	36.86
एक वर्ष बाद देय पर पाँच वर्ष बाद देय नहीं	20.65	38.34
	23.49	75.20

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 32 : प्रति समता अंश आय

क्र. सं.	विवरण	Unit	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
	कर के बाद शुद्ध लाभ	रूपये (लाख में)	1,734.30	(400.63)
	वर्ष के दौरान भारित औसत अर्द्ध समता अंशों की संख्या	संख्या (लाख में)	28.01	26.84
	प्रति समता अंश का न्यूनतम मूल्य	रूपये	100	100
	प्रति अंश समता मूल आय	रूपये (लाख में)	61.92	(14.93)
	डायल्यूटेड आय की गणना हेतु प्रयोग किये गए समता अंश	संख्या (लाख में)	28.08	26.97
	प्रति अंश डायल्यूटेड आय	रूपये	61.76	(14.85)

Note 33 : सरकारी अनुदान का विवरण

एन.डी.डी.बी. से प्राप्त अनुदान और उसके उपयोग का विवरण :

(i)	**राजस्व अनुदान**		
(a)	प्रारम्भिक रहतिया	–	–
(b)	वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ	32.21	–
(c)	वर्ष के दौरान उपयोग किया गया		
	(i) राजस्व व्यय के लिये	32.21	–
(d)	शेष राशि को आगे ले गे (अ+ब+स)	–	–
(ii)	**पूंजीगत अनुदान**		
(a)	प्रारम्भिक रहतिया	–	–
(b)	वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ	1,494.35	–
(c)	प्राप्त ब्याज	3.17	–
		1,497.52	–
(d)	वर्ष के दौरान उपयोग किया गया		
(i)	पूंजीगत सम्पत्ति के लिये	418.82	–
(ii)	एन.डी.डी.बी. को ब्याज वापिस किया गया	0.66	–
	कुल उपयोग किया गया	419.48	–
(e)	शेष राशि को आगे ले गये (अ+ब+स+द)	1,078.04	–

नोट :

उपयोग किये गये राजस्व अनुदान को सम्बन्धित खर्चों के साथ घटा दिया गया है (नोट 2K देखे)

परिचालन व्यय के लिये जीका परियोजना के तहत एन.डी.डी.बी. से पूंजीगत अनुदान प्राप्त होता है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 34 :

वर्ष 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 के अनुपात इस प्रकार है।

क्र. सं.	अनुपात	गणना का आधार	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	उतार–चढ़ाव %
1.	वर्तमान अनुपात (समय में) (नीचे नोट A देखें)	वर्तमान संपत्तियाँ/दायित्व	1.67	1.60	3.83
2.	ऋण इक्विटी अनुपात (नीचे नोट B देखें)	अन्यकालिक आधार	1.04	1.11	(6.54)
3.	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात (नीचे नोट C देखें)	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	5.21	0.69	657.92
4.	इक्यूटी अनुपात पर वापसी (%)	कर के बाद शुद्ध लाभ/औसत शेयर धरकों की इक्यूटी	18.75	(13.73)	32.48
5.	इक्यूटी टर्नओवर अनुपात	संचालन/औसत सूची से राजस्व	96.89	79.29	22.20
6.	व्यापार प्राप्त कारोबार अनुपात	संचालन से राजस्व/औसत व्यापार प्राप्त	10.38	7.35	41.36
7	व्यापार देय कारोबार अनुपात (नीचे नोट D देखें)	संचालन/औसत कार्यशील पूँजी से राजस्व	27.55	23.47	17.37
8.	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (समय में)	करों के बाद लाभ/संचालन से राजस्व	11.58	9.45	22.58
9.	शुद्ध लाभ अनुपात (%)	ब्याज और कर से पहले की कमाई	1.64	(0.49)	2.13
10.	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	लाभांश आय/औसत निवेश	13.80	(0.01)	13.81
11.	कम्पनी द्वारा कोई निवेश नहीं किया है।	लाभांश आय/औसत निवेश	–	–	–

स्पष्टीकरण :

1. कुल ऋण = अल्पकालिक उधार
2. ऋण चुकता करने के लिए उपलब्ध आय = टैक्स पूर्व लाख + ह्रास और ऋण मुक्त व्यय + वित्तीय लागत
3. ऋण सेवा + वित्तीय लागत
4. औसतन अंशधारक इक्विटी = (प्रारम्भिक अंशधारक फण्ड + अन्तिम अंशधारक फण्ड)
5. औसतन स्टॉक = (प्रारम्भिक रहतिया + अन्तिम रहतिया)/2
6. औसतन व्यापारिक प्राप्य = (प्रारम्भिक व्यापारिक प्राप्य + अन्तिम व्यापारिक प्राप्य) / 2
7. औसतन व्यापारिक देय (प्रारम्भिक व्यापारिक देय + अन्तिम व्यापारिक देय) / 2
8. कार्यशील पूंजी = चालू सम्पत्ति – चालू दायित्व
9. औसतन कार्यशील पूँजी (प्रारम्भिक कार्य पूँजी + अन्तिम कार्य पूँजी) / 2
10. ब्याज व कर से पूर्व प्राप्तियाँ = कर से पूर्व लाभ + वित्तीय लाभ
11. व्यवसाय हेतु आवश्यक मूलधन = अंशधारक इक्विटी + कुल ऋण ± विलिम्बित कर देयता/सम्पत्ति
12. कम्पनी द्वारा कोई भी विनियोजन नहीं किया गया है, अतः यह अनुपात लागू नहीं है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note A :

1. वित्तीय वर्ष के दौरान, ऋण सेवा के लिये उपलब्ध आय पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वृद्धि हुयी है और इसके परिणामस्वरूप ऋण सेवा कवरेज अनुपात में वृद्धि हुयी है।
2. चालू वर्ष के दौरान पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में शुद्ध लाभ में वृद्धि हुयी है, इसके परिणामस्वरूप इक्विटी अनुपात के रिटर्न में भी वृद्धि हुयी है।
3. चालू वर्ष के दौरान कारोबार में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में रू. 24,280.48 लाख की वृद्धि हुयी है और 907.85 लाख की व्यापार प्राप्त में कमी आयी है। इसके परिणामस्वरूप प्राप्त टर्न ओवर अनुपात में वृद्धि हुयी है।
4. चालू वर्ष के दौरान कारोबार में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 20,988.98 लाख की वृद्धि हुयी है।

Note 35 :

सम्बन्धित पक्ष प्रकटीकरण :–

(a). सम्बन्धित पक्ष का नाम एवं सम्बन्ध का स्वरुप (राशि ₹ लाख में)

सम्बन्ध का स्वरुप (Nature of Relationship)	सदस्य का नाम (Name of Person)	सम्बन्ध
मुख्य प्रबंधक अधिकारी (प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक)	बसन्त चौधरी	मुख्य कार्यकारी

(b). उपरोक्त सम्बन्धित पक्ष से वर्ष के दौरान लेन–देन की मात्रा एवं स्वरुप का विवरण निम्न है।

Nature of Transactions	(Rupees) KMP
प्रबंधक पारिश्रमिक	
बसन्त चौधरी	46.59 (39.92)

(ब्रेकेट में आँकड़ें पिछले वर्ष संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते है)

Note 36 : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग विकास अधिनियम 2006 की धारा 22 के तहत पंजीकरण आवश्यक है –

	विवरण	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
(i)	लेखा वर्ष के अन्त तक किसी भी आपूर्तिकर्ता को बकाया मूल राशि का भुगतान नहीं किया गया है।	92.88	108.48
(ii)	लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को उस पर देय ब्याज का भुगतान न किया गया हो।	–	–
(iii)	नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किये गये भुगतान की राशि के साथ भुगतान की गयी ब्याज की राशिं	–	–
(iv)	वर्ष के लिये देय और देय ब्याज की राशि।	–	–
(v)	लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और बकाया ब्याज की राशि।	–	–
(vi)	आगामी वर्ष में भी देय और देय ब्याज की राशि उस तारीख तक भुगतान नहीं	–	–

प्रबंधक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग अनिधिनम, 2006 (MSMED Act) के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के आधार पर कोई भी आपूर्तकर्ता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, इसलिए उक्त अधिनियम के तहत कंपनी की कोई भी बकाया नहीं है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 37 :

कंपनी दुग्ध तथा पशु आहार के व्यवसाय से सम्बन्धित है। खण्ड सूचना के लेखा मानकों AS–17 के अनुसार प्रकटीकरण की कंपनी को कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि कंपनी एक ''व्यावसायिक गतिविधि'' से सम्बन्धित है तथा एक ही भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत है।

Note 38 :

गतवर्ष 31 मार्च 2024 के लिये निदेशकों ने अपनी बैठक में जो 22 अगस्त, 2024 को हुयी थी जिसमें लाभांश 223.20 लाख (रू. 8 प्रति शेयर) लाभांश शेयर धारकों के साधारण सभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद दिया जायेगा। इसलिए आर्थिक चिट्ठे में शामिल नहीं किया है। प्रस्तावित लाभांश उन सभी शेयर धारकों को मिलेगा जिन्होंने अपने शेयर अंश का पूर्ण भुगतान किया हुआ है।

Note 39 :

कम्पनी ने अंश आवेदन धनराशि के रूप में रू. 27.18 लाख प्राप्त किये हैं। जिसका आवंटन 24 मई 2024 की बोर्ड बैठक में किया गया था।

Note 40 :

कम्पनी ने किसी विदेशी संस्थाओं सहित किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष कोई फंड, उधार या निवेश नहीं किया है। कम्पनी ने किसी भी पार्टी से फंड प्राप्त नहीं किया है। कम्पनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार देगी या निवेश करेगी या कम्पनी की ओर से या उसकी ओर से कोई गारण्टी, सुरक्षा प्रदान करेगी।

Note 41 :

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एम.सी.ए.) ने अपनी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. कम्पनी (लेखा) संशोधन नियम 2021 के नियम 3(1) के प्रावधान के संदर्भ में 206(ई) दिनांक 24 मार्च, 2021 (समय–समय पर संशोधित) ने आवश्यकता पेश की है, जहाँ प्रत्येक कम्पनी जो लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है अपने लेखा पुस्तकों को बनाये रखते हुये, केवल ऐसे लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक लेन–देन का तुलनात्मक अंकेक्षक को रिकार्ड करने की सुविधा हो और यह सुनिश्चित किया जाये कि तुलनात्मक लेखांकन की सुविधा को अक्षम नहीं किया जा सकें।

वर्ष के दौरान, कम्पनी ने अपने खातों की पुस्तकों को बनाये रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल सुविधा को छोड़कर लेखांकन सॉफ्टवेयर में दर्ज सभ प्रासांगिक लेन–देन के लिये एप्लीकेशन स्वर पर पूरे वर्ष संचालित ऑडिट ट्रेल की सुविधा कुछ तालिकाओं के लिये उपयुक्त नहीं थी, एप्लीकेशन स्तर पर जिसके लिये विशिष्ट उपयोगकर्ता के पास डेटाबेस को किसी भी स्तर पर प्रत्यक्ष रूप में संपादित करने हेतु अधिकार रक्षित है। कम्पनी ने क्रय से सम्बन्धित अभिलेख रखने हेतु एक सॉफ्टवेयर का उपयोग किया था, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिग लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं थी।

Note 42 :

पिछली अवधि के आंकड़े फिर से एकजुट कर दिया है / जहाँ आवश्यक चालू वर्ष के वर्गीकरण / प्रकटीकरण के साथ अनुरूप करने के लिए पुनवर्गीकृत कर दिया गया है।

कृते निदेशक मंडल

ह./–
रजनीश कुमार
निदेशक
DIN : 07894245

ह./–
बसन्त चौधरी
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
DIN : 08277954

ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव
Membership No.: F10508

ह./–
सुदीप कुमार भौमिक
सहायक महाप्रबन्धक वित्त

स्थान : आगरा
दिनांक : 22 अगस्त, 2024

Note 13 : अचल सम्पत्ति

(राशि ₹ लाख में)

	विवरण	Gross Block				Accumulated Depreciation				Net Block	
		As at April 1, 2023	Additions	Deletion	As at 31 March, 2024	As at 01 April, 2023	Depreciation Charge for the Year	Deletion	As at 31 March, 2024	As at 31 March, 2024	As at 31 March, 2023
(a)	**मूर्त सम्पत्ति (स्वामित्व)**										
	संयत्र एवं उपकरण	5,278.74	825.23	–	6,103.97	4,209.19	388.54	–	4,597.73	1,506.24	1,069.55
		(5,277.59)	(1.15)	(–)	(5,278.74)	(3,811.60)	(397.59)	(–)	(4,209.19)	(1,069.55)	(1,465.99)
	फर्नीचरण व फिक्सचर	277.08	–	–	277.08	272.59	2.48	–	275.07	2.01	4.49
		(277.08)	(–)	(–)	(277.08)	(270.11)	(2.48)	(–)	(272.59)	(4.49)	(6.97)
	दफ्तर के उपकरण	45.23	–	–	45.23	43.25	0.96	–	44.21	1.02	1.98
		(44.06)	(1.17)	(–)	(45.23)	(41.32)	(1.93)	(–)	(43.25)	(1.98)	(2.74)
	कम्प्यूटर	1,593.71	34.25	–	1,627.96	1,568.57	17.25	–	1,585.82	42.14	25.14
		(1,585.81)	(7.90)	(–)	(1,593.71)	(1,552.74)	(15.83)	(–)	(1,568.57)	(25.14)	(33.07)
	कुल (A)	**7,194.76**	**859.48**	–	**8,054.24**	**6,093.60**	**409.23**	–	**6,502.83**	**1,551.41**	**1,101.16**
	गत वर्ष	(7,184.54)	(10.22)	(–)	(7,194.76)	(5,675.77)	(417.83)	–	(6,093.60)	(1,101.16)	(1,508.77)
(b)	**अमूर्त सम्पत्ति** (अन्य स्वयं उत्पन्न की तुलना में) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	349.91 (349.91)	– –	– (–)	349.91 (349.91)	349.91 (349.91)	– –	– (–)	349.91 (349.91)	– –	– –
	कुल (B)	**349.91**	–	–	**349.91**	**349.91**	–	–	**349.91**	–	–
	गत वर्ष	(349.91)	(–)	(–)	(349.91)	(349.91)	–	(–)	(349.91)	–	–
	(A+B)	**7,544.67**	**859.48**	–	**8,404.15**	**6,443.51**	**409.23**	–	**6,852.74**	**1,551.41**	**1,101.16**

नोट :

(i) मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
मूर्त संपत्ति	409.23	417.83
अमूर्त संपत्ति	–	–
कम मूल्य ह्रास की संपत्ति से सम्बन्धित अनुदान से प्राप्त कर लिया	194.87	125.61
	214.36	292.22

(ii) पूंजी अनुदान से खरीदी और टेबल के ऊपर नीचे दिए गए हैं में शामिल परिसंपत्तियों का विवरण (ध्यान दें 33 देखें): (राशि ₹ लाख में)

	विवरण	Gross Block			Accumulated Depreciation			Net Block	
		As at 1 April 2023	Additions	As at 31 March, 2024	As at 1 April 2023	Depreciation Charge For the year	As at 31 March, 2024	As at 31 March, 2024	As at 31 March, 2023
(a)	मूर्त सम्पत्ति (स्वामित्व)								
	संयंत्र एवं उपकरण	1,636.33	418.26	2,054.59	1,135.09	194.80	1,329.89	724.70	501.24
		(1,636.33)	(–)	(1,636.33)	(1,009.83)	(125.26)	(1,135.09)	(501.24)	(626.50)
	फर्नीचर व फिक्सचर	33.32	–	33.32	33.32	–	33.32	–	–
		(33.32)	(–)	(33.32)	(32.97)	(0.35)	(33.32)	–	(0.35)
	दफ्तर के उपकरण	259.02	–	259.02	259.02	–	259.02	–	–
		(259.02)	(–)	(259.02)	(259.02)	–	(259.02)	–	–
	कम्प्यूटर	1,008.43	0.56	1,008.99	1,008.43	0.07	1,008.50	–	–
		(1,008.43)	(–)	(1,008.43)	(1,008.43)	–	(1,008.43)	0.49	–
	अमूर्त सम्पत्ति	207.66	–	207.66	207.66	–	207.66	–	–
	कम्प्यूटर साफ्टवेयर	(207.66)	(–)	(207.66)	(207.66)	–	(207.66)	–	–
	योग	3,144.76	418.82	3,563.58	2,643.52	194.87	2,838.39	725.19	501.24
		(3,144.76)	(–)	(3,144.76)	(2,517.91)	(125.61)	(2,643.52)	(501.24)	(626.85)

(iii) विगत वर्ष के आंकड़े (कोष्ठक) में दर्शाए गये है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)
रजि. कार्यालय : यूनिट नं. 401–02–03–04, चतुर्थ तल, पदम कॉर्पोरेट पार्क
प्लॉट न. बी.एस.–10, सेक्टर–13, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आवास विकास कॉलोनी
आगरा–282007, उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

ग्यारहवीं वार्षिक आम सभा की सूचना

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की ग्यारहवीं वार्षिक आम सभा बुधवार, 25 सितम्बर, 2024 को पूर्वान्ह 10:30 बजे होटल मधु रिजॉर्ट्स, सिकन्दरा, मथुरा रोड, आगरा–282007, उत्तर प्रदेश, भारत में निम्न कार्यों के लिए होगी :

1. **31 मार्च, 2024 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा लाभ–हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करके उन पर विचार करना एवं उसे अपनाना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :**

   '' प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2024 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण, शेड्यूल और नोट्स जो खातों का हिस्सा है, अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अपनाया जाता है।''

2. **कंपनी की समता अंश पूँजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :**

   ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लाभ में से रू. 100/– वाले 27,90,002 पूर्ण प्रदत्त समता अंशों पर रू. 8/– प्रति समता अंश की दर से, कुल रु. 2.23 करोड़ वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिये अनुमोदित किया जाता है एवं इसका भुगतान उन समता अंश धारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।''

3. **श्री रजनीश कुमार (डी.आई.एन. : 07894245), जो ''श्रेणी सी'' के अंतर्गत आते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :**

   ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अंतनियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अर्न्तनियमों के अन्तर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों पुर्न–अध्यादेश) श्री रजनीश कुमार, कंपनी की निदेशक, जो

''श्रेणी सी'' के अंतर्गत आते है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नही हैं, के स्थान पर श्रीमती रजनी (डी.आई.एन. 10739075) को जो ''श्रेणी–सी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं, को कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगी।''

4. **श्री उपेन्द्र सिंह (डी.आई.एन. 08198050), जो ''श्रेणी अ'' के अन्तर्गत आते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अंर्तनियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अर्न्तनियमों के अन्तर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश सहित) श्री उपेन्द्र सिंह, कंपनी के निदेशक जो ''श्रेणी अ'' के अन्तर्गत आते हैं एवं जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नही हैं, के स्थान पर श्री अवनेश कुमार (डी.आई.एन. 10756258) को जो ''श्रेणी–अ'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्ति होंगे''

5. **श्री शीलेन्द्र कुमार (डी.आई.एन. 10739035) को ''श्रेणी अ'' के अंतर्गत आते हैं, कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य प्रासंगिक लेखों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानो सहित पुर्न–अध्यादेश सहित) श्री शीलेन्द्र कुमार (डी.आई.एन. 10739035), जो कंपनी के सदस्यों के ''श्रेणी अ'' का प्रतिनिधित्व करते है, को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रीय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।''

6. **श्रीमती सपना (डी.आई.एन. : 08865085), जो बोर्ड में ''श्रेणी–बी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएं पूर्ण करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती है एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्रीमती सपना (डी.आई.एन. : 08865085) जो बोर्ड में ''श्रेणी–बी'' का प्रतिनिधित्व करती हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती हैं, को कंपनी में निदेशक पुनः नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगी।''

7. **मैसर्स एस. एन. धवन एण्ड कंपनी एलएलपी कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 और 142 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, मैसर्स एस.एन. धवन एण्ड कंपनी एलएलपी, एफआरएन

(000050एन/एन500045) चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंपनी के वैधानिक अंकेक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो कंपनी की 11वीं वार्षिक आम बैठक के समापन से लेकर 16वीं वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद पर बने रहेंगे। बोर्ड द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पारिश्रमिक तय की जाएगी।''

8. **1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट पर विचार कर उसका अनुमोदन करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट वार्षिक आम सभा में सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसे अनुमोदित किया जाता है।''

9. **एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ('एनडीएस') को दूध की आपूर्ति पर विचार करना और इसे अपनाना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के बहिर्नियम और अंतर्नियमों के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अध्याय XXIA के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पढ़े गए अधिनियम के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, अन्य लागू कानून/वैधानिक प्रावधान, यदि कोई हो (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित, जो तत्काल में लागू है), के अनुसार अंशधारकों की सहमति के साथ एवं दिनांक 5 अप्रैल, 2024 को हुये आपूर्ति अनुबंध के तहत किसी भी संशोधन सहित दूध की आपूर्ति के लिए एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज (एनडीएस) के साथ लेनदेन/अनुबंध/व्यवस्था/समझौते के साथ प्रवेश किया जाता है।

पुनः प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अध्यक्ष को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक सभी कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है।''

10. **एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज (एनडीएस) के साथ दूसरी व्यवस्था में प्रवेश पर विचार करना और अनुमोदन करना और इस संबंध में निम्नलिखित को एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में पारित करना :**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के बहिर्नियम और अंतर्नियमों के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अध्याय XXIA के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पढ़े गए अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधानों के अनुसार, अन्य लागू कानून/वैधानिक प्रावधान, यदि कोई (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियम सहित, जो तत्काल में लागू है) एवं कंपनी के सदस्यों की सहमति के साथ एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ सेकेंडमेंट व्यवस्था/समझौता करना और सेकेंडमेंट व्यवस्था से संबंधित सभी निष्पादन लेनदेन का अनुसमर्थन करना और लेनदेन/अनुबंध/व्यवस्था/ समझौते में प्रवेश करना और/या जारी रखना।

पुनः प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी द्वारा इस व्यवस्था/समझौते को समाप्त करने के लिए आम बैठक में सदस्यों की पूर्व सहमति की आवश्यकता होगी।

पुनः प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अध्यक्ष को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए एवं आवश्यक सभी कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है।''

बोर्ड के आदेशानुसार
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

दिनांक : 22 अगस्त, 2024
स्थान – आगरा

ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव व एजीएम–लीगल
सदस्यता संख्या : F10508

टिप्पणीयाँ –

1. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार एक सदस्य, हाथ दिखाकर मतदान करने के साथ–साथ स्वयं के स्थान पर प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी एक सदस्य होना चाहिए। गैर–सदस्य को कंपनी का प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने वाले उपकरण को बैठक के निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले विधिवत पूरा करके, मुहर लगाकर और हस्ताक्षरित करके कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। इसके साथ एक खाली प्रॉक्सी फॉर्म संलग्न है।

2. सदस्यों/प्रॉक्सी से अनुरोध है कि वे 11वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए इसके साथ भेजी गई उपस्थिति पर्ची विधिवत भरकर लाएँ।

3. प्रत्येक सदस्य को उसके द्वारा ली गई अंश पूँजी और संरक्षता को ध्यान में रखते हुए एक वोट डालने का अधिकार होगा (हाथ दिखाकर अथवा पोल पर) लेकिन उसे अपनी सदस्यता की आधारभूत शर्तों को पूरा कर लिया हो अर्थात् उसने गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में कंपनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की आपूर्ति की हो।

4. एक व्यक्ति अधिकतम तीन सौ (300) सदस्यों की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है, जो कुल मिलाकर कंपनी की शेयर पूंजी का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।

5. इस नोटिस के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं :

   1. ऊपर मद संख्या 3, 4, 5 और 6 में दिए गए अनुसार नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों के बारे में विवरण और मद संख्या 9 व 10 में निर्धारित व्यवसाय के सम्बन्ध में विवरण यहाँ संलग्न हैं।
   2. 16 सितम्बर, 2023 को आयोजित पूर्व वार्षिक आम सभा की कार्यवाही का विवरण।
   3. 31 मार्च, 2024 को लेखापरीक्षित आर्थिक चिट्ठा और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता, साथ में निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।
   4. वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए बजट।

6. जो सदस्य कंपनी के परिचालन से सम्बन्धित या खातों से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वे अपने प्रश्नों का वार्षिक आम सभा के 7 दिन पूर्व कम्पनी सचिव को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेज सकते हैं।

7. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ई–मेल, पंजीकृत पता, मोबाइल नंबर और पिन कोड में किसी भी बदलाव के बारे में तुरन्त कंपनी को सूचित करें।

8. संलग्न नोटिस और संलग्न विवरण में उल्लिखित प्रासंगिक दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों पर सामान्य व्यावसायिक घंटों (11:00 बजे से 16:00 बजे के बीच) के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

9. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के साथ सभी संचार में सोलह अंकों का सदस्यता कोड और फोलियो नंबर उद्धृत करें।

10. बोर्ड द्वारा अनुशंसित सीमित रिटर्न (लाभांश), यदि बैठक में घोषित किया जाता है, तो उन शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा, जिनके नाम 31 मार्च, 2024 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में दिखाई देंगे।

11. सदस्यों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसार (उस समय लागू होने वाले किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियम के साथ), यदि सीमित रिटर्न (लाभांश) का दावा नहीं किया जाता है अथवा घोषणा तारीख से 7 साल की अवधि के भीतर दावा/नकदीकरण नहीं करते है, तब दावा न की गई राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधिमें स्थानांतरित कर दी जाएगी। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित कर दी जाएगी। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरण हेतु अवैतनिक लाभांश इस प्रकार है :

वित्तीय वर्ष	घोषणा की तिथि	आईईपीएफ के हस्तांतरण की संभावित तिथि
2016–17	16/09/2017	23/10/2024
2017–18	13/09/2018	20/10/2025
2018–19	06/09/2019	13/10/2026
2019–20	02/11/2020	09/12/2027
2020–21	24/09/2021	31/10/2028
2021–22	23/08/2022	30/09/2029
2022–23	16/09/2023	22/10/2030

जिन सदस्यों ने उपरोक्त वर्षों से संबंधित अपने लाभांश वारंट को भुनाया नहीं है/इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त नहीं किया है, वे उक्त निधि में स्थानांतरण के लिए देय होने से पहले भुगतान प्राप्त करने के लिए कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।

12. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी से वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस, परिपत्र आदि सहित सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए अपने ई–मेल पते को पंजीकृत/अद्यतन करें।

13. बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.saahajmilk.com पर भी उपलब्ध होगी।

14. वार्षिक आम बैठक स्थल तक पहुंचने का रूट मैप प्रमुख स्थल चिन्ह सहित नोटिस का हिस्सा है।

बोर्ड के आदेशानुसार
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

दिनांक : 22 अगस्त, 2024
स्थान – आगरा

ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव व एजीएम–लीगल
सदस्यता संख्या : F10508

आगामी वार्षिक आम सभा में नियुक्ति/पुनः नियुक्त चाहने/होने वाले निदेशकों का विवरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA(4)(c) और सामान्य सभा पर लागू सचिवीय मानकों के अनुसार)

<u>मद संख्या 3, 4, 5 और 6</u>

बोर्ड नामांकन समिति की सिफारिश पर, श्रीमती रजनी (डी.आई.एन. : 10739075 जो 'श्रेणी–सी' का प्रतिनिधित्व करती है), श्री अवनेश कुमार (डी.आई.एन. : 10756258 जो 'श्रेणी अ' का प्रतिनिधित्व करते हैं, श्री शीलेन्द्र कुमार (डी.आई.एन. : 10739035 जो श्रेणी 'अ' का प्रतिनिधित्व करते हैं) कि नियुक्ति और श्रीमती सपना (डी.आई.एन. : 08865085 जो 'श्रेणी बी' का प्रतिनिधित्व करती है) की पुनः नियुक्ति, करने का प्रस्ताव करता है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

	श्रीमती रजनी	श्री अवनेश कुमार	श्री शीलेन्द्र कुमार	श्रीमती सपना
उम्र	37	32	30	28
शैक्षिक योग्यता :	हाईस्कूल	इण्टरमीडिएट	इण्टरमीडिएट	इण्टरमीडिएट
व्यवसाय :	कृषि और पशुपालन	कृषि और पशुपालन	कृषि और पशुपालन	कृषि और पशुपालन
अनुभव :	कृषि और पशुपालन क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव	कृषि और पशुपालन क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव	कृषि और पशुपालन क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव	कृषि और पशुपालन क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव
नियुक्ति के नियम और शर्तें :	गैर कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी	गैर कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी	गैर कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी	गैर कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी
पारिश्रमिक का भुगतान करने की मांग की और अंतिम आहरित पारिश्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बोर्ड में पहली नियुक्ति की तिथि	ग्यारहवीं वार्षिक आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव	ग्यारहवीं वार्षिक आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव	ग्यारहवीं वार्षिक आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव	02.11.2020 को आयोजित सातवीं वार्षिक आम सभा में नियुक्त किया गया।
निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या में भाग लिया	–	–	–	22
अंश पूंजीधारिता :	36	299	183	151
अन्य निदेशकों और केएमपी के साथ संबंध :	सम्बन्धित नहीं	सम्बन्धित नहीं	सम्बन्धित नहीं	सम्बन्धित नहीं
बोर्ड की समिति की सदस्यता/अध्यक्षता :	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

मद संख्या :9

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (कंपनी) को कंपनी अधनियम, 2013 के भाग XXI-A के तहत 17 अक्टूबर, 2014 को एक उत्पादक कंपनी के रूप में निगमित किया गया है।

कंपनी के उद्देश्य में मुख्य रूप से सदस्यों और अन्य लोगों के दूध और दूध उत्पादों की पूलिंग, खरीद, प्रसंस्करण, उसका विपणन और उन गतिविधियों से निपटना शामिल है जो उससे संबंधित किसी भी गतिविधि का हिस्सा हैं या उससे संबंधित हैं।

कंपनी खरीदे गए दूध की आपूर्ति मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड को संचालन के बाद से कर रही थी। एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, कंपनी के निगमन के बाद से कंपनी को तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। मदर डेयरी के साथ दूध आपूर्ति समझौता 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो गया।

अप्रैल 2024 से कंपनी ने दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ एक समझौता किया है।

समझौते की मुख्य विशेषताएं है :–

1) लाभकारी उत्पादक मूल्य को प्रमुख प्रतिभागियों के साथ बेंचमार्क किया गया।

2) गुणवत्ता और संस्थागत मापदंडों के अनुपालन के लिए प्रोत्साहन।

3) समय पर भुगतान।

4) अनुमानित मात्रा खरीदने की प्रतिबद्धता।

5) साल भर बाजार पहुंच।

6) परस्पर सहमत ओवरहेड्स और मार्जिन।

निदेशक मंडल ने 27 मार्च, 2024 को दूध की आपूर्ति के लिए एनडीएस के साथ अनुबंध करने को मंजूरी दे दी। तदनुसार, कंपनी ने दूध की आपूर्ति के लिए 5 अप्रैल, 2024 को एनडीएस के साथ एक अनुबंध किया है। कंपनी ने दिनांक 7 अप्रैल, 2024 से दैनिक आधार पर एनडीएस को दूध की आपूर्ति शुरू कर दी है।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन हेतु सूचना पत्र में संलग्न मद संख्या 9 में निर्धारित प्रस्ताव की अनुशंसा करता है।

मद संख्या :10

कंपनी को शुरूआत से ही सेवाओं के संपूर्ण दायरे को कवर करते हुए एनडीएस द्वारा सहायता प्रदान की जा रही थी, जिसका उद्देश्य डेयरी के क्षेत्रों में स्वामित्व वाले उत्पादक संस्थानों को बढ़ावा देना है। एनडीएस ने कंपनी के निदेशकों को प्रशासन, संस्थान निर्माण, वित्तीय और परिचालन मामलों पर शिक्षित करने में कंपनी की मदद की। भारत में डेयरी उद्योग में तेजी से बदलते वाणिज्यिक और आर्थिक परिदृश्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए, कंपनी को एक मुख्य कार्यकारी (सीई) की आवश्यकता है, जिसके पास कंपनी की वृद्धि और विकास के विभिन्न चरणों को संभालने में विशेषज्ञता हो। किसान–स्वामित्व वाले ग्रामीण स्टार्ट–अप के लिए सीई के रूप में काम करने के इच्छुक प्रतिभाशाली पेशेवरों का चयन करने के लिए, कंपनी ने एनडीएस के साथ एक व्यवस्था की है, जिसके तहत एनडीएस कंपनी के सीई के रूप में बोर्ड द्वारा उसकी नियुक्ति के लिए एनडीएस के एक कर्मचारी को दूसरे स्थान पर रखेगा। इससे कंपनी के मामलों के प्रबंधन के लिए सीई की नियुक्ति में स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित होगी। बोर्ड ने 22.08.2024 को आयोजित अपनी 55वीं बैठक में एनडीएस के साथ सेकेंडमेंट व्यवस्था करने की मंजूरी दे दी है और अध्यक्ष को सेकेंडमेंट व्यवस्था निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

एनडीएस के साथ सेकेंडमेंट अनुबंध की प्रमुख शर्तों में से एक यह है कि इस व्यवस्था को कंपनी की अगली आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी भी मिलनी होगी। अनुबंध की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है:

1) पक्ष : एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, नई दिल्ली, भारत में पंजीकृत एक गैर–लाभकारी कंपनी और सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड।

2) अनुबंध निष्पादन की तारीख से प्रभावी हो जाता है और एक सामान्य बैठक में कंपनी सदस्यों द्वारा अनुमोदन के अधीन होता है।

3) कंपनी का सीई के काम पर पूर्ण नियंत्रण और पर्यवेक्षण होगा और सीई कंपनी के सीई के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कंपनी के कार्य नियमों और नीतियों का पालन करेगा।

4) एनडीएस द्वारा प्रदान की गई सीई की सेवाओं पर विचार करते हुए कंपनी एनडीएस को सभी कर्मचारी–संबंधी खर्चों और एनडीएस द्वारा सीई को भुगतान किए गए वेतन को कवर करने के लिए फीस का भुगतान करेगी।

5) कोई भी पक्ष लिखित सूचना देकर इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि सहज समझौते को समाप्त करना चाहता है तो उसे आम बैठक में कंपनी के सदस्यों की पूर्व मंजरी की आवश्यकता होगी।

6) कंपनी सेकेंडमेंट के दौरान असाइनी के कार्यों से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या नुकसान के खिलाफ एनडीएस की क्षतिपूर्ति करेगी।

अनुबंध की एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आम बैठक की तारीख तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन हेतु सूचना पत्र में संलग्न मद संख्या 10 में निर्धारित प्रस्ताव की अनुशंसा करता है।

बोर्ड के आदेशानुसार
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

दिनांक : 22 अगस्त, 2024
स्थान – आगरा

ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव व एजीएम–लीगल
सदस्यता संख्या : F10508

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की दसवीं वार्षिक आम सभा, जो शनिवार, दिनांक 16 सितम्बर, 2023 को सुबह 10:30 बजे होटल मधु रिजॉर्ट्स, सिकन्दरा, मथुरा रोड, आगरा–282007, उत्तर प्रदेश, भारत में सम्पन्न हुई, जिसकी कार्य सूची का विवरण इस प्रकार है:

उपस्थिति :

1.	श्री रजनीश कुमार	:	अध्यक्ष, अध्यक्ष (स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी) एवं अंशधारक
2.	श्री शिव प्रताप	:	निदेशक एवं अंशधारक
3.	श्री उपेन्द्र सिंह	:	निदेशक एवं अंशधारक
4.	श्री शिव कुमार शर्मा	:	निदेशक एवं अंशधारक
5.	श्री योगेश कुमार जादौन	:	निदेशक एवं अंशधारक
6.	श्री अनुरूद्ध कुमार	:	निदेशक एवं अंशधारक
7.	श्रीमती सपना	:	निदेशक एवं अंशधारक
8.	श्री मानिकचन्द्र	:	निदेशक एवं अंशधारक
9.	श्री राहुल कुमार	:	निदेशक एवं अंशधारक
10.	श्री बसंत चौधरी	:	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
11.	श्री वरुण वर्मा	:	कंपनी सचिव

सदस्य उपस्थित

व्यक्तिगत रूप से : 94

प्रतिनिधि के माध्यम से : 28,171

श्री रजनीश कुमार ने प्रातः 10:30 बजे बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कंपनी सचिव से बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित उपस्थिति और कोरम की उपस्थिति की पुष्टि करने को कहा।

इसके बाद, कंपनी सचिव श्री वरुण वर्मा ने कहा कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार, व्यक्तिगत रूप से 94 सदस्य जिनके 4,932 अंश है और प्रॉक्सी के माध्यम से 28,171 सदस्य जिनके 15,79,785 अंश है, उपस्थित थे। उन्होंने आगे

कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378Y सपठित अंतर्नियम के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार अपेक्षित कोरम के लिए 22,131 सदस्य होने चाहिए।

अध्यक्ष ने कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378Y के अनुसार, कोरम बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम 22,131 सदस्य अंशधारक मौजूद है, बैठक का कोरम पूर्ण होने की घोषणा के पश्चात् कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

अध्यक्ष ने कंपनी की दसवीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उपस्थित सभी सदस्यों और निदेशकों का स्वागत किया। उन्होंने उपस्थित सदस्यों को सूचित किया कि कंपनी के निदेशक श्री सौगत मित्रा, डॉ. संजय कुमार गोवानी और श्री सुशील कुमार, श्रीमती प्रेमलता बैठक में भाग लेने में असमर्थ हैं।

इसके बाद अध्यक्ष ने कंपनी के मूल्य, मिशन और विजन को पढ़कर बैठक की कार्यवाही शुरू की।

कंपनी सचिव श्री वरुण वर्मा ने घोषणा की कि, सदस्यों के निरीक्षण के लिए निदेशकों की अंशधारिता का रजिस्टर, प्रॉक्सी का रजिस्टर, सदस्यों की अंशधारिता का विवरण और अन्य वैधानिक रजिस्टर बैठक हॉल के प्रवेश द्वार पर रखे गए हैं।

कंपनी की दसवीं वार्षिक आम बैठक बुलाने का नोटिस, जो पहले सदस्यों को वितरित किया गया था, उपस्थिति सभी सदस्यों की सहमति से पढ़ा हुआ मान लिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी की ऑडिटर रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी/योग्यताएं नहीं थीं और इसलिए ऑडिटर रिपोर्ट को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सदस्यों को अपना भाषण दिया।

सदस्यों को अपना संबोधन समाप्त करने पर, अध्यक्ष ने बैठक को दसवीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस में निर्धारित कार्यों को निपटाने का निर्देश दिया।

बैठक में निम्नलिखित व्यवसाय किये गये :

1. 31 मार्च, 2023 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा लाभ–हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करके उन पर विचार करना एवं उसे अपनाना।

   श्री अवधेश सिंह (फोलियो नं.: 089501) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

   प्रस्ताव संख्या : 01/10वीं वार्षिक आम सभा : 16.09.2023/2024–24

   ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2023 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण, शेड्यूल और नोट्स जो खातों का हिस्सा है, अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अपनाया जाता है।''

श्री संतोष कुमार (फोलियो नं.: 089422) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

2. कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी पर सीमिट रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोषित करना।

श्रीमती अवनीश बेगम (फोलियो नं.: 0104145) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 02/10वीं वार्षिक आम सभा : 16.09.2023/2023–24

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के आरक्षित और अधिशेष में से 7/– रुपये प्रति समता अंश की दर से 100/– रुपये वाले 28,56,167 पूर्णा प्रदत्त समता अंशों पर वित्त वर्ष 2022–2023 के लिए 2 करोड़ रुपये सीमित रिटर्न (लाभांश) की मंजूरी दी गई है और इसकी पुष्टि की गई है और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम 31 मार्च, 2023 को सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई दिए थे।''

श्रीमती संध्या देवी (फोलियो नं.: 0223588) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

3. श्रीमती प्रेमलता (डीआईएन: 08867165) जो ''श्रेणी–सी'' के अंतर्गत आती हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे)

श्रीमती सरला (फोलियो नं.: 0195258) जो ''श्रेणी सी'' का प्रतिनिधित्व करती है, ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 03/10वीं वार्षिक आम सभा : 16.09.2023/2023–24

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 और अन्य प्रासंगिक लेखों और कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 378ZA और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, (उस समय के लिए किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के साथ) श्रीमती प्रेमलता कंपनी की निदेशक जो ''श्रेणी–सी'' के अंतर्गत आती हैं जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं, उनकी जगह श्रीमती सुलेखा (डीआईएन : 10242846) को जो ''श्रेणी सी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है को कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रीय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होगी।''

श्रीमती ममता देवी (फोलियो नं.: 0175797) जो ''श्रेणी सी'' का प्रतिनिधित्व करती है ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको ''श्रेणी सी'' के सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

4. श्री अनिरूद्ध कुमार (डी.आई.एन. : 08865032) जो ''श्रेणी–सी'' के अंतर्गत आते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे।

श्रीमती नीतू (फोलियो नं.: 0196729) जो ''श्रेणी सी'' का प्रतिनिधित्व करती है, ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 04/10वीं वार्षिक आम सभा : 16.09.2023/2023–24

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी ने अंर्तनियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अर्न्तनियमों के अन्तर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, (उस समय के लिए किस भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के साथ) श्री अनिरुद्ध कंपनी के निदेशक जो ''श्रेणी सी'' के अंतर्गत आते हें जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होते हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं, उनकी जगह श्रीमती उमा भदौरिया (डीआईएन : 10242870) को जो ''श्रेणी सी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है को कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रीय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होगी।''

श्रीमती आशा देवी (फोलियो नं.: 0216280) जो ''श्रेणी सी'' का प्रतिनिधित्व करती है ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको ''श्रेणी सी'' के सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

5. श्री योगेश कुमार जादौन (डी.आई.एन. : 08526498) जो बार्ड में ''श्रेणी बी'' का प्रतिनिधित्व करते है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताए पूर्ण करते हुये स्वयं को पुनः नियक्ति के लिए प्रस्तावित करते है।

श्री लोकेश कुमार शर्मा (फोलियो नं. 0141626) जो ''श्रेणी बी'' का प्रतिनिधित्व करते है, ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 05/10वीं वार्षिक आम सभा : 16.09.2023/2023–24

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री योगेश कुमार जादौन (डी.आई.एन. : 08526498) जो बार्ड में ''श्रेणी बी'' का प्रतिनिधित्व करते है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताए पूर्ण करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति

के लिए प्रस्तावित करते है, को कंपनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रीय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।''

श्री प्रशांत कुमार (फोलियो नं.: 0213404) जो ''श्रेणी बी'' का प्रतिनिधित्व करते है ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको ''श्रेणी बी'' के सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

6. 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट पर विचार कर और उसका अनुमोदन करना।

श्रीमती लक्ष्मी (फोलियो नं.: 0128971) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 06/10वीं वार्षिक आम सभा : 16.09.2023/2023–24

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट जैसा वार्षिक आम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है को अनुमोदित किया जाता है।''

श्री संतोष (फोलियो नं.: 025956) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर इसे सर्वसम्मति से पारित किया।

7. कंपनी के अंतर्नियमों में संशोधन पर विचार कर उसका अनुमोदन करना।

श्रीमती पूनम देवी (फोलियो संख्या : 093752) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 07/10वीं वार्षिक आम सभा 16.09.2023/2023–24

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, विशेष रूप से धारा 378–I और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों और कंपनी के बहिर्नियमों और अंतर्नियमों के लागू प्रावधान के अनुसार अंशधारकों की सहमति से कंपनी के अंतर्नियमों में निम्नलिखित प्रकार से संशोधन किया जाता है–

(1) मौजूद अनुच्छेद 4.3 (iii) में बदलाव/संशोधन किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

अनुच्छेद 4.3 (iii) :– कोई भी सदस्य जो सदस्य के रूप में बने रहने के लिए पात्र नहीं है, उसे सदस्यता खारिज करने के लिए कंपनी द्वारा एक लिखित नोटिस दिया जाएगा और सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। हालाँकि, सदस्यों को नोटिस भेजने के उद्देश्य से, बोर्ड किसी विशेष वर्ष के दौरान सभी सदस्यों के लिए एक या अधिक पात्रता मानदंड से छूट दे सकता है। सदस्य को नोटिस में निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर नोटिस का जवाब देना होगा। ऐसा नोटिस हाथ से या पंजीकृत डाक से या ईमेल से या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाएगा :

तत्पश्चात्, बोर्ड इस मामले पर निर्णय लेगा।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को कंपनी के रजिस्ट्रार के समक्ष आवश्यक फॉर्म दाखिल करने और ऐसे सभी कार्य, कार्य, मामले और चीजें करने और ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया गया है जो इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक हो सकते है।''

श्रीमती सुनीता यादव (फोलियो नं.: 023728) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर इसे सर्वसम्मति से पारित किया।

ह./–
रजनीश कुमार
अध्यक्ष
डी.आई.एन. 07894245

दिनांक : 16 सितम्बर, 2023
स्थान – आगरा

मिनट बुक में प्रविष्टि की तारीख : 21 सितम्बर, 2023
ह./
कंपनी सचिव

सहज

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)
रजि. कार्यालय : यूनिट नं. 401–02–03–04, चतुर्थ तल, पदम कॉर्पोरेट पार्क
प्लॉट नं. बी.एस.–10, सेक्टर–13, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आवास विकास कॉलोनी
आगरा–282007 उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

वित्तीय वर्ष 2024–25 का बजट

आयगत बजट

विवरण	इकाई	वित्तीय वर्ष 2024–25
(अ) आय		
दुग्ध की मात्रा	किलोग्राम/दिन (लाखें में)	7.38
व्यापार (दुग्ध और दुग्ध उत्पाद)	रुपये लाखों में	1,46,807.23
अन्य आय	रुपये लाखों में	1,066.82
कुल आय	रुपये लाखों में	**1,47,874.04**
(ब) व्यय		
माल की लागत रूपांतरण सहित	रुपये लाखों में	1,30,795.64
स्थित एवं परिवर्तनशील लागत	रुपये लाखों में	15,860.80
कुल व्यय	रुपये लाखों में	**1,46,656.44**
कर पूर्व लाभ (अ–ब)	रुपये लाखों में	1,217.61
	बिक्री प्रतिशत (%)	0.83%

पूँजीगत बजट

विवरण	इकाई	वित्तीय वर्ष 2024–25
प्रयोगशाला उपकरण	रुपये लाखों में	3,195.26
सूचना प्रौद्योगिकी विवरण	रुपये लाखों में	2,51.54
दफ्तर के उपकरण	रुपये लाखों में	105
कुल व्यय	रुपये लाखों में	**3,551.81**

सहज

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)
रजि. कार्यालय : यूनिट नं. 401–02–03–04, चतुर्थ तल, पदम कॉर्पोरेट पार्क,
प्लॉट नं. बी.एस.–10, सेक्टर–13, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आवास विकास कॉलोनी,
आगरा–282007, उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

फॉर्म संख्या एम.जी.टी.–11

प्रतिनिधि फॉर्म (प्रॉक्सी फॉर्म)
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में)

सी.आई. एन.	:	U01403UP2014PTC066595
कंपनी का नाम	:	सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय	:	यूनिट नं. 401–02–03–04, चतुर्थ तल, पदम कॉर्पोरेट पार्क, प्लॉट नं. बी.एस.–10, सेक्टर–13, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आवास विकास कॉलोनी, आगरा–282007, उत्तर प्रदेश, भारत
सदस्य(यों) का नाम	:	
रजिस्ट्रीकृत पता	:	
ई–मेल पता	:	
फोलियो संख्या	:	

मैं/हम .... उपर्युक्त नामक कंपनी के अंशों (शेयरों) के सदस्य होते हुए द्वारा निम्न को नियुक्त करते है –

1. नाम :
   पता :
   ई–मेल पता :
   हस्ताक्षर : .... या उनके न होने पर
2. नाम :
   पता :
   ई–मेल पता :
   हस्ताक्षर : ....

दिनांक 25 सितम्बर, 2024 दिन बुधवार को पूर्वान्ह 10:30 बजे होटल मधु रिजॉर्ट्स, सिकन्दरा, मथुरा रोड, आगरा–282007, उत्तर प्रदेश, भारत में होने वाली कंपनी की ग्यारहवीं वार्षिक आम सभा में मेरे/हमारे प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) के रूप में निम्नवत दर्शित ऐसे संकल्पों (प्रस्तावों) के संबंध या उसके स्थान में मेरे/हमारे लिए भाग लेंगे एवं मतदान देंगे (मतदान में) :

मद संख्या	प्रस्ताव	मतदान		
		पक्ष में	विरोध में	तटहस्थ
1.	31 मार्च, 2024 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ–हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करके उन पर विचार करना।			
2.	कंपनी की समता अंश पूँजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना।			
3.	श्री रजनीश कुमार (डी.आई.एन. : 07894245), जो "श्रेणी–सी" के अन्तर्गत आते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे।			
4.	श्री उप्रेन्द्र सिंह (डी.आई.एन. : 08198050), जो "श्रेणी–अ" के अन्तर्गत आते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना जोकि चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे।			
5.	श्री शीलेन्द्र कुमार (डी.आई.एन. : 10739035), जो "श्रेणी–अ" के अंतर्गत आते है, निदेशक के रूप मे नियुक्ति कर विचार करना, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे।			
6.	श्रीमती सपना (डी.आई.एन. : 08865085), जो बोर्ड में "श्रेणी–बी" का प्रतिनिधित्व करती हैं, जोकि चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएं पूर्ण करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती है।			
7.	मैसर्स एस.एन. धवन एण्ड कंपनी एलएलपी को कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना।			
8.	1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट पर विचार एवं अनुमोदन करना।			
9.	एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज (एनडीएस) को दूध की आपूर्ति पर विचार करना और अनुमोदन करना।			
10.	एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज (एनडीएस) के साथ सेकंडमेंट व्यवस्था में प्रवेश पर विचार करना और अनुमोदन करना।			

................................, 2024 को हस्ताक्षरित

शेयरधारक (कों) के हस्ताक्षर

प्रॉक्सीधारक (कों) के हस्ताक्षर

टिकट चस्पा करें।

टिप्पणी : यह प्रॉक्सी फॉर्म प्रभावी होने के लिए सम्यक रूप से पूर्ण एवं कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में वार्षिक आम सभा प्रारम्भ होने के कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा किया जाना चाहिए।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)
रजि. कार्यालय : यूनिट नं. 401–02–03–04, चतुर्थ तल, पदम कॉर्पोरेट पार्क,
प्लॉट नं. बी.एस.–10, सेक्टर–13, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आवास विकास कॉलोनी,
आगरा–282007, उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)

ग्यारहवीं वार्षिक आम सभा – 25 सितम्बर, 2024

रजिस्टर्ड फोलियो संख्या	
धारित शेयरों की संख्या	
16 अंकों का सदस्य कोड	

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं कंपनी का एक पंजीकृत सदस्य/पंजीकृत सदस्य/(सदस्यों) का प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) हूँ। मैं एतद्द्वारा होटल मधु रिजॉर्ट्स, सिकन्दरा, मथुरा रोड, आगरा–282007, उत्तर प्रदेश, भारत में बुधवार, 25 सितम्बर, 2024 को सुबह 10:30 बजे आयोजित होने वाली कंपनी की ग्यारहवीं वार्षिक आम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ।

सदस्य/प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) का नाम | सदस्य/प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) के हस्ताक्षर

नोट : सदस्यों/प्रॉक्सी धारकों से अनुरोध है कि वे इस उपस्थिति पर्ची को वार्षिक आम सभा में लाएं और इसे विधिवत हस्ताक्षरित प्रवेश द्वार पर सौंप दें।

वार्षिक आम सभा के स्थल का रूट मैप

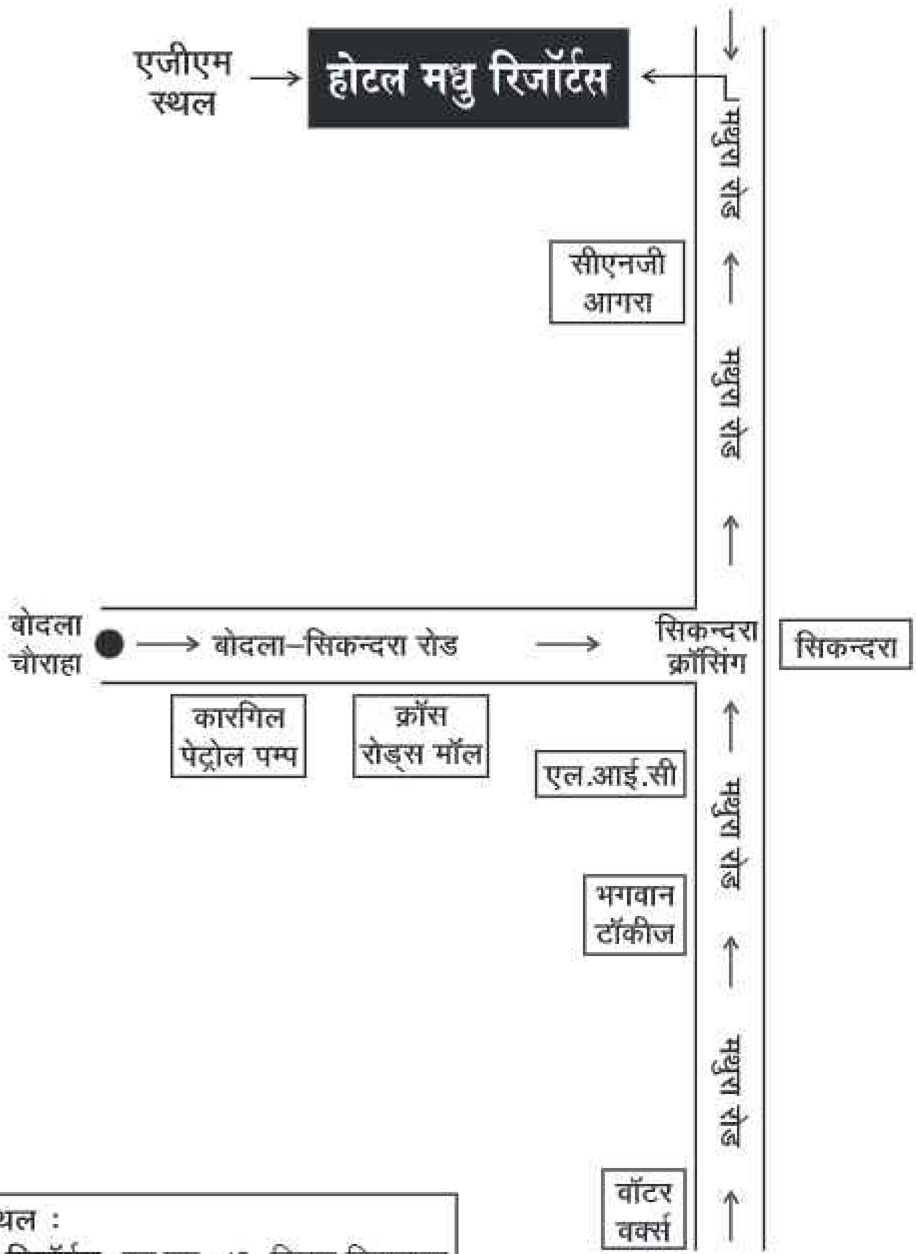

एजीएम स्थल :
होटल मधु रिजॉर्टस, एन.एच.–19, निकट सिकन्दरा मथुरा रोड, आगरा, उत्तर प्रदेश–282007

सहज®

सहज सुदाना अपनाने के फायदे

- BIS मानकों के अनुरूप संतुलित पशु आहार
- दुग्ध उत्पादन लागत में कमी
- स्वस्थ पशु
- दुग्ध उत्पादन में वृद्धि
- रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि
- दूध के फैट और एस.एन.एफ. में सुधार

सहज शुद्ध दानेदार देशी घी

सहज मिन अपनाने के फायदे

- पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मृदा संरचना के अनुरूप तैयार किया गया चिलेटेड क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण
- स्वस्थ नवजात बछिया/पड़िया
- बछिया/पड़िया में बेहतर वृद्धि जिससे कम समय में प्रजनन योग्य
- रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि
- नर एवं मादा पशुओं की प्रजनन क्षमता में सुधार
- ब्यांत अंतराल में कमी
- दूध एवं फैट में वृद्धि

बुक–पोस्ट

प्रेषक :

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)

रजि. कार्यालय : यूनिट नं. 401–02–03–04, चतुर्थ तल, पदम कॉर्पोरेट पार्क
प्लॉट न. बी.एस.–10, सेक्टर–13, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आवास विकास कॉलोनी
आगरा–282007, उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

(प्राप्तकर्ता को प्राप्त न होने पर उक्त पते पर वापस भेंजे)